

उत्तराखण्ड शासन

ग्राम्य विकास विभाग



उत्तराखण्ड शासन

वृत्त का नाम:— पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त लोक निर्माण विभाग, मसूरी

प्रस्तावक खण्ड का नाम:— निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार
(मुख्यालय—कालसी)

वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कार्य का नाम:— जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी से कुल्हा मोटर मार्ग के विस्तारीकरण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

वांछित क्षेत्रफल:—	सिविल सोयम वन भूमि	—3.1500 हैक्टेयर
	आरक्षित वन भूमि	—0.0000 हैक्टेयर
	कुल भूमि	— 3.1500 हैक्टेयर

मोटर मार्ग की कुल लम्बाई	— 7.300 कि०मी०
--------------------------	----------------



वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

के अन्तर्गत भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की

स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि

हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने

के प्रपत्र / प्रमाण पत्र

चैक लिस्ट

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं०
01.	प्रतिवेदन	
02.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र	
03.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति	
04.	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	
05.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय रिपोर्ट	
06.	1:50000 पैमाने का मानचित्र	
07.	डिजिटल मैप व सी0डी0	
08.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं निरस्त किये जाने का प्रमाण पत्र	
09.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र	
10.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शेड्यूल	
11.	परियोजना की लम्बाई व चौड़ाई का प्रमाण पत्र	
12.	बार चार्ट	
13.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र	
14.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ब्यासवार विवरण एवं मूल्यांकन/सारांश/वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्ष	
15.	बांज प्रजाति के वृक्ष होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण पत्र	
16.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र	
17.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र	
18.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र	
19.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र	
20.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	
21.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र	

22.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर लागत तथा विश्लेषण की सूचना अंकित करना (5.00 है० क्षेत्रफल से अधिक प्रकरणों में लागू)	
23.	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र	
24.	धार्मिक स्थल न होने का प्रमाण पत्र	
25.	भू-वैज्ञानिक के सुझाव मान्य होने का बचन बद्धता प्रमाण पत्र	
26.	पर्वतीय क्षेत्रों में टास्क फोर्स की संस्तुतियां मान्य होने का प्रमाण पत्र	
27.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र	
28.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण पत्र	
29.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण पत्र	
30.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र	
31.	लाभाविन्त होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों का विवरण का प्रमाण पत्र	
32.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सप्तवर्षीय योजना का प्रांकलन मय मानचित्र (1.00 है० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	
33.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र	
34.	सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण का प्रांकलन	
35.	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्रांकलन (1.00 है० से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	
36.	मक डिस्पोजल योजना मानचित्र व उपचार कार्यों के प्रांकलन	
37.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन	
38.	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बड़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र	
39.	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का विवरण (यदि लागू हो)	
40.	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव के दो सी०डी० पी०डी०एफ० फोरमेट में।	

प्रतिवेदन

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

शासनादेश संख्या 1760/पी०३-14/यू०आर०आर०डी०ए०/०९ दिनांक के तहत जनपद देहरादून के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण की 7.300 कि०मी० लम्बाई हेतु रु० लाख की स्वीकृति हेतु डी०पी०आर० गठित कर भारत सरकार को प्रेषित की गई है। यह मार्ग रायगी से प्रारम्भ होकर ग्राम कुल्हा में समाप्त होगा।

1 - आरक्षित वन भूमि	-	शून्य
2 - वन पंचायत भूमि	-	शून्य
3 - सिविल सोयम वन भूमि	-	3.150 है०
4 - नाप भूमि	-	3.420 है०
योग	-	6.570 है०

भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 7.300 कि०मी० जिसमें सिविल सोयम वन भूमि में 9.00 मीटर चौड़ाई में ली गई है। वर्तमान में सिविल सोयम वन भूमि 3.150 है० एवं नाप भूमि 3.420 है० का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार हेतु भूमि हस्तान्तरण किये जाने के लिए प्रस्ताव गठित किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि न्यूनतम है। अन्य वैकल्पिक संरक्षण की सम्भावना नहीं है। औपचारिक कार्यवाही हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया, आख्या संलग्न है।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से 829 जनसंख्या लाभान्वित होगी तथा उक्त ग्राम मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा। पर्वतीय ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र से यातायात से जुड़ कर लाभान्वित हो जायेंगे और नगदी फसलों को बाजार तक विपणन करने की सुगम सुविधा उपलब्ध होगी।

सर्वेक्षण के आधार पर उक्त मार्ग का संरक्षण इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि उक्त ग्राम के अलावा कुल्हा ग्राम एवं इसकी तोक बागी प्रस्तावित मोटर मार्ग से जुड़ जायेगी एवं मानक के अनुरूप न्यूनतम वन भूमि उपयोग में लाई जायेगी, जिससे कम वृक्ष एवं फसलें प्रभावित होगी। मोटर मार्ग का 7.300 कि०मी० लम्बाई में सिविल एवं सोयम वन भूमि 9.00 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना की गई है। जिससे कम से कम वृक्षों का पातन होगा।

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु 6.570 है० सिविल एवं सोयम वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि प्रस्ताव गठित कर विधिवत स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०

नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार

(मुख्यालय कालसी), देहरादून

सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०

नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार

(मुख्यालय कालसी), देहरादून

अधिशाली अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०

नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार

(मुख्यालय कालसी), देहरादून



फैक्ट सीट

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

1 प्रस्तावित भूमि की वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे० में)-

आरक्षित वन भूमि	-	शून्य
वन पंचायत भूमि	-	शून्य
सिविल सोयम वन भूमि	-	3.150 है०
नाप भूमि	-	3.420 है०
<u>योग</u>	<u>-</u>	<u>6.570 है०</u>

2. प्रस्तावक विभाग का नाम:- पी०एम०जी०एस०वाई० निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, हरिद्वार (मुख्यालय कालसी), देहरादून
3. वन प्रभाग का नाम:- चकराता वन प्रभाग, चकराता
4. प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है:- हां✓ / नहीं
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है:- हां✓ / नहीं
6. क्या भारत सरकार के प्रारूप में भाग 1,2 एवं 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। हां✓ / नहीं
8. क्या प्रारूप में बांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है। हां✓ / नहीं
9. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है। हां✓ / नहीं
10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / प्रमाण पत्र संलग्न है। हां✓ / नहीं
11. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। हां / नहीं✓
12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है। हां✓ / नहीं
13. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। हां✓ / नहीं

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी-कुल्हा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भी भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है। उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को सहमत हूँ।

भवदीय

नाम:- जवान देई

ग्राम:- कुल्हा

कास सेक्सन 3/16 to 3/20 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री मनीष जवान देई पुत्र श्री किष्क देहरादून ग्राम कुल्हा पटवारी वृत्त त्यगी तहसील त्यगी जनपद देहरादून के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०स०	खाता संख्या/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
<u>3/16 to 3/20</u>	<u>25- / 984</u>	<u>0.0810</u>
<u>— " —</u>	<u>25- / 978</u>	<u>0.174</u>
	योग	<u>0.2550</u>

सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी),देहरादून

राजस्व उपनिरीक्षक

क्षे० राजस्व उपनिरीक्षक त्यगी
तहसील त्यगी
जनपद देहरादून

14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। हां✓ / नहीं
15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। हां✓ / नहीं
16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के स्थल को दर्शाया गया है। हां✓ / नहीं
17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/प्रयोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। हां✓ / नहीं
18. क्या प्रयोजना क्षेत्र वन्य जीवों की संलग्न दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हां / नहीं✓
19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है—
यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। हां / नहीं✓
20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है। हां✓ / नहीं
21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) हां / नहीं
22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है। हां✓ / नहीं
23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। हां / नहीं✓
24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है। हां / नहीं✓
25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारी / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। हां / नहीं✓
26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मान-चित्र पर दर्शाये गए हैं। हां✓ / नहीं
27. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) हां✓ / नहीं
28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है। हां✓ / नहीं

(5 हे० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी-कुल्हा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भी भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है। उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को सहमत हूँ।

भवदीय

नाम:- जान / सु-६८

ग्राम:- कुल्हा

कास सेक्सन 3/16 to 3/20 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री जान / सु-६८ पुत्र श्री कमला ग्राम कुल्हा पटवारी वृत्त त्यनी तहसील त्यनी जनपद देहरादून के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०स०	खाता संख्या/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
3/16 to 3/20	20- / 979	0.1210
— " —	20- / 885	0.0600
	योग	0.1810

सहायक अभियन्ता

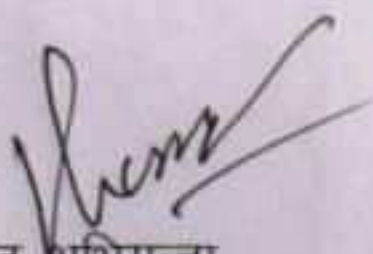
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी),देहरादून

राजस्व उपनिरीक्षक

क्षे० राजस्व उपनिरीक्षक त्यनी
तहसील त्यनी
जनपद देहरादून

29. मानचित्र व वार चार्ट में एकरूपता है। हां✓/नहीं
30. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है। हां✓/नहीं
अथवा
मलवे के निस्तारण के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न है। हां✓/नहीं
31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली षटों का प्रमाण-प्रस्ताव में संलग्न है। हां✓/नहीं
32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है। हां/नहीं
यदि छाया प्रतियां संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है। हां✓/नहीं
33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है। हां✓/नहीं
34. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृत संलग्न है। हां✓/नहीं
35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है। हां✓/नहीं
36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है। हां✓/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैंक्स सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनाये संलग्न कर दी गयी है।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



परिशिष्ट
(देखिये नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फॉर्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण:-

1. (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /
- परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि-
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

(ग) परियोजना की लागत। - 547.50 लाख

(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित -
करने का औचित्य। अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न
होना।

(ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जाने के लिए)। लागू नहीं।

(च) रोजगार जिनके पैदा होने की -
सम्भावना है। मोटर मार्ग के निर्माण से कुशल / अकुशल
श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 2000
मानव दिवस।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार -
विवरण।

सिविल सोयम भूमि	-	3.150 है०
नाप भूमि	-	3.420 है०
कुल भूमि	-	6.570 है०
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने
का विवरण, यदि कोई है। लागू नहीं है।

(क) परिवारों की संख्या - शून्य

(ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के -
परिवारों की संख्या। शून्य

(ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने-
के लिये)। शून्य

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी-कुल्हा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भी भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है। उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को सहमत हूँ।

भवदीय

अभिराम

नाम:- अभिराम

ग्राम:- कुल्हा

कास सेक्सन 7/3 107/7 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री अभिराम पुत्र श्री मोला ग्राम कुल्हा पटवारी वृत्त ल्यनी तहसील ल्यनी जनपद देहरादून के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०स०	खाता संख्या/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
7/3 107/7	29- / 1063	0.020
— ' —	29- / 1062	0.0910
	योग	0.111

सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

राजस्व उपनिरीक्षक

क्षेत्र राजस्व उपनिरीक्षक ल्यनी
तहसील ल्यनी
जनपद देहरादून

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है?

संलग्न है।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसूचण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाय)।

संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

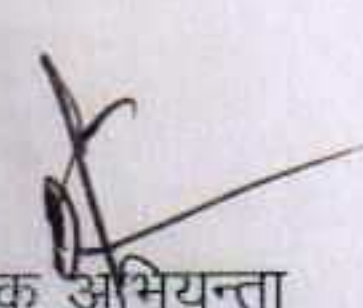
दिनांक 03/09/2014

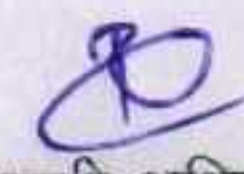
स्थान- Kalsi

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम- राजेश कुमार


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

प्रस्ताव की कम सं०.....

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)।



अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी-कुल्हा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भी भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है। उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को सहमत हूँ।

काल सिंह

भवदीय

नाम:- काल सिंह

ग्राम:- कुल्हा

कास सेक्सन 712 to 717 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री काल सिंह पुत्र श्री बिन्नु मिश्री ग्राम कुल्हा पटवारी वृत्त त्युतो तहसील त्युतो जनपद देहरादून के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०स०	खाता संख्या/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
<u>712 to 717</u>	<u>67-1058</u>	<u>0.2060</u>
<u>— " —</u>	<u>67-1060</u>	<u>0.1700</u>
	योग	<u>0.376</u>

सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी),देहरादून

राजस्व उपनिरीक्षक

क्षे० राजस्व उपनिरीक्षक त्युतो
तहसील त्युतो
जनपद देहरादून

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई— 7.300 किमी०)

भाग — 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०.....

7. परियोजना / स्कीम का स्थान

(01) राज्य / संघशासित क्षेत्र—

(02) जिला—

(03) वन प्रभाग—

(04) वनेत्तर प्रयोग के लिये— प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है० में)

(05) वन की कानूनी स्थिति—

(06) हरियाली का घनत्व—

(07) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और— परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ०आर० एल०-8 मी० पर परिगणना भी संलग्न की जाय।

(08) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

(09) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी।

(10) क्या फॉर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी कारीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)

(11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ संकटापन / वशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं, यदि हां / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उत्तराखण्ड राज्य

देहरादून

चकराता वन प्रभाग, चकराता

3.150 है०

सिविल वन भूमि

0.1 % है।

संलग्न है।

संवेदनशील क्षेत्र नहीं है। भू-वैज्ञानिक की आख्या पृ० सं०..... पर संलग्न है। पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे विस्तारीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

नहीं।

नहीं

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी-कुल्हा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भी भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है। उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को सहमत हूँ।

भवदीय

नाम:- गज्जर

ग्राम:- कुल्हा

कास सेक्सन 713 to 717 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री गज्जर पुत्र श्री शिवराम ग्राम कुल्हा पटवारी वृत्त त्यनी तहसील त्यनी जनपद देहरादून के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०स०	खाता संख्या/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
<u>713 to 717</u>	<u>80 - / 1061</u>	<u>0.0240</u>
	योग	<u>0.0240</u>

सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी),देहरादून

राजस्व उपनिरीक्षक

क्षे० राजस्व उपनिरीक्षक त्यनी
तहसील त्यनी
जनपद देहरादून

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई— 7.300 किमी०)

- (12) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत् सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो। नहीं।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम दो प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। वांछित भूमि न्यूनतम है सर्वेक्षण के आधार पर इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां / नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चाह रहे हैं। नहीं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा
- (1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आस - पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। प्रतिपूरक वृक्षारोपण ग्राम कुल्हा की सिविल भूमि में किया जाना है।
- (2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आस - पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। मैप संलग्न है।
- (3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। संलग्न है।
- (4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। $3.15 \times 26.30 \text{ प्रति है } 1,30,000 = 8,19,000$
- (5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)। संलग्न है।

डिजिटल मानचित्र :- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी से कुल्हा विस्तारीकरण मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 07.300 कि०मी०)



0 0.5 1 1.5 Km



Legend

- Muck Disposal Point
- Proposed Road
- Existing Road
- Reaserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- State / Division Boundary

Proposed Plantation for C.A.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चक्रता वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी

चक्रता वन प्रभाग
(देहरादून)

अधीनस्थ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कालसी (देहरादून)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई- 7.300 कि

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (गपए गपप) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।

12. प्रभाग/जिला प्रोफाइल-

चकराता वन प्रभाग, चकराता

(1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

3088 कि० मी

(2) जिला का वन क्षेत्र।

2116.981 हे०

(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वन-उत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।

351.306 हे०

(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण।

685 हे०

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि पर

(ख) वनेत्तर भूमि पर

(ग) वन भूमि पर

..... हे०

(घ) वनेत्तर भूमि पर

485 हे०

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

उप वन संरक्षक की सिफारिश है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति दी जाए। उप वन संरक्षक की सिफारिश के अनुसार 7.300 कि० मी लंबाई का सड़क का क्षेत्र 14,60,000 वर्ग मीटर होगा।

दिनांक..... 16.12.2014

स्थान..... देहरादून

हस्ताक्षर

नाम:- (डॉ. दिवाकर सिंह)

प्रमुख वन अधिकारी

चकराता वन प्रभाग

देहरादून

सरकारी मोहर

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई— 7.300 किमी०)

भाग — 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए वृक्षों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नाम:-

सरकारी मोहर

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

भाग - 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नाम:-

सरकारी मोहर

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

भाग - 5

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकृत अधिकारी जो अपर
सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18. राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या भाग- IV में किसी
अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नाम:-

सरकारी मोहर

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, वृत्त,
लो०नि०वि०, मसूरी।

E-Mail:-
sepmgsymussoorie@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक:- 1091/249सी०-पी०एम०जी०एस०वाई०/13

दिनांक:- 05/07/2013

सेवा में

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड/पी०एम०जी०एस०वाई०,
लो०नि०वि०, हरिद्वार (मु०कालसी)।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी से कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण लम्बाई 7.300 कि०मी० का संरेखण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1215/1सी० दिनांक 01.07.2013।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त समरेखण प्रस्ताव न० 1 आपकी संस्तुति एवं आख्या के आधार पर अनुमोदित कर एक प्रति में अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जा रहा है:-

1. अधिशाली अभियन्ता किसी प्रकार से विवाद के लिए स्वयं आस्वस्थ हुये, तथा ग्राम समा का अनापत्ति प्रमाण भी सलग्न करें।
2. प्रस्तावित संरेखण एवं गाँव कोर नेटवर्क एवं पी०एम०जी०एस०वाई० के मानकों के अनुसार लिये गये हैं।
3. उपरोक्त मार्ग पी०एम०जी०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत ही चयनित किया गया है।
4. अधिशाली अभियन्ता व्यक्तिगत रूप से संरेखण के तकनीकी एवं भूगर्भीय बिन्दुओं की जाँच कर आस्वस्थ हो लें।
5. अधिशाली अभियन्ता चयनित सूची में अंकित भूगर्भीय वैद्यता से संरेखण का स्थलीय निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें।
6. अधिशाली अभियन्ता आस्वस्थ हो ले, कि संरेखण पर किसी प्रकार की कोई समस्या पी०एम०जी०एस०वाई० विशिष्टियों एवं मानकों के अनुसार डीजाइन एस०पी० बैंड करने में कोई समस्या नहीं है।
7. अधिशाली अभियन्ता आस्वस्थ हो लें, कि संरेखण में प्रभावित होने वाली सरकारी व व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों का आकलन भली प्रकार जाँच कर प्रतिकर की राशि का समावेश डी०पी०आर० में कर लें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, वृत्त,
लो०नि०वि०, मसूरी।

प्रतिलिपि:- कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) वृत्तीय कार्यालय को उपरोक्त समरेखण की प्रति सहित अमिलेख हेतु

प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, वृत्त,
लो०नि०वि०, मसूरी।

Govt G.O

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी-कुल्हा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भी भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है। उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को सहमत हूँ।

भवदीय श्रीभाराम
नाम:- श्रीभाराम
ग्राम:- कुल्हा

कास सेक्सन 1/2 to 1/6 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री श्रीभाराम पुत्र श्री झांऊ ग्राम कुल्हा पटवारी वृत्त ल्युगे तहसील ल्युगे जनपद देहरादून के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०स०	खाता संख्या/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
<u>1/2 to 1/6</u>	<u>29- / 667</u>	<u>0.0400</u>
	योग	<u>0.0400</u>

सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी),देहरादून

राजस्व उपनिरीक्षक

क्षे० राजस्व उपनिरीक्षक ल्युगे
तहसील ल्युगे
जनपद देहरादून

प्रपत्र-4

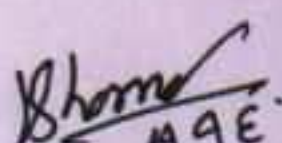
परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।
(लम्बाई - 7.300कि०मी०)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

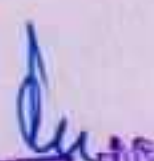
प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक -10.10.2013 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री ~~गोपबन्धु सिंह~~ राज्य विभाग की ओर से श्री ~~विद्याकाश~~ प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री विनोद रामा, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि, शून्य है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि, ~~3.500~~ ^{3.150} हे०, वन पंचायत भूमि शमन्य हे० एवं नाप भूमि 3.420 हे० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से 02 गाँव व 829 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

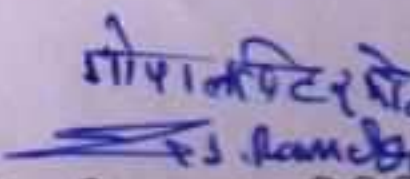
आवेदित सिविल वन भूमि के 7.00मीटर चौड़ाई में 06 व 9.00 मीटर चौड़ाई में 04 वृक्षों व नाप भूमि पर शून्य वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।


(प्रयोक्ता एजेन्सी)

(जिलाधिकारी)


विद्याकाश नौटिकाल
रा०उप०नि०/धानाधका
(राजस्थान विभाग का प्रतिनिधि)

(प्रभागीय वनाधिकारी)


गोपबन्धु सिंह
(वन विभाग का प्रतिनिधि)


(ग्राम प्रधान)

(सम्बन्धित उप जिलाधिकारी)


तहसीलदार
त्युनी


उप प्रभागीय वनाधिकारी
कलसी उप वन प्रभाग
चक्राता वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
चक्राता वन प्रभाग
(देहरादून)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी-कुल्हा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भी भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है। उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को सहमत हूँ।

भवदीय

नाम:- वेग चन्दग्राम:- कुल्हा

कास सेक्सन 1/2 to 1/6 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री वेग चन्द पुत्र श्री नैनु ग्राम कुल्हा पटवारी वृत्त त्युनी तहसील त्युनी जनपद देहरादून के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०स०	खाता संख्या/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
<u>1/2 to 1/6</u>	<u>25- / 864</u>	<u>0.0160</u>
<u>— " —</u>	<u>25- / 865</u>	<u>0.0570</u>
<u>3/16 to 3/20</u>	<u>25- / 904</u>	<u>0.0810</u>
	योग	<u>0.1540</u>

सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

राजस्व उपनिरीक्षक

क्षे० राजस्व उपनिरीक्षक त्युनी
तहसील त्युनी
जनपद देहरादून

प्रपत्र-9

परियोजना का नाम— जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हामोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।(लम्बाई-7.300 कि०मी०)

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने का कारण का

प्रमाण -पत्र

संरेखण नं०	प्रभावित वन भूमि (हे० में)	प्रभावित वृक्षों की संख्या	मार्ग की लम्बाई	अन्य कारण (एच.पी.बैण्ड व अन्य भू-गर्भीय कारण)
संरेखण-1	3.500 3.150	06	7.300	10
संरेखण-2	6.997	04	7.775	12
संरेखण-3		—	—	—

उक्त तीनों संरेखणों में से संरेखण 01 उपयुक्त है।

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रधानीय वनाधिकारी
ककराता वन प्रभाग
ककराता (देहरादून)

प्रयोक्ता एजेन्सी

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
ककराता उप वन प्रभाग
ककराता वन प्रभाग

अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कालसी (देहरादून)

कार्यालय राजी अधिकारी, देवधरा रोड धुनी.

पत्रांक - 245/20 दि. 29-10-2013

सेवा में, प्रभागीय वनाधिकारी

चक्रावात वन प्रभाग

डा. उ. उ. उ. उ. धुनी - चक्रावात

विषय:- रायगी कुलहा मोट (मार्ग) की समुक्त निरीक्षण रिपोर्ट.

संदर्भ:- आपका पत्रांक - 1083/20-2 दि. 14-10-2013.

महोदय,
उक्त संदर्भित पत्र के अनुसार आपने रायगी कुलहा मोट (मार्ग) का समुक्त निरीक्षण लोकनिरीक्षण, राजस्व विभाग एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि के साथ दिनांक 10-10-2013 को किया गया. जिनकी समुक्त निरीक्षण रिपोर्ट मूल में संलग्न कर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

नोट:- समुक्त निरीक्षण की मूल प्रती एवं

अवधी



राजस्व विभाग

[Signature]

निगाह भविष्य

राजस्व विभाग/धुनी

चक्रावात वन प्रभाग

रा. व. विभाग
देवधरा रोड (धुनी)

सेवा में वन क्षेत्राधिकारी मधेपुरा
केन्द्राट रोड - लखी

विषय :- रायगा, कुल्हा मोटर में आने वाले वृक्षों की लुप्तप्राय प्रजाति रिपोर्ट।

मधेपुरा, रायगा से कुल्हा मोटर मार्ग में बाटों पर आने वाले वृक्षों की लुप्तप्राय प्रजाति के वन्य जीवों के साथ लुप्तप्राय प्रजाति रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

क्षेत्र का नाम	क्रि. क्र.	वर्ष	वृक्ष संख्या	टिप्पणी
कुल्हा रायगा	चि. १	०-२०	३	०६१
	— २ —	२०-३०	५	
	— ३ —	३०-५०	३	
		योग	१०	११३

अतः लुप्तप्राय प्रजाति रिपोर्ट मधेपुरा के सेवा में प्रेषित
में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मधेपुरा -

१।- नरेश सिंह चौधरी - नरेश चौधरी
वन प्ररक्षण अधिकारी १०/०८/२३

२।- जे. पा. वि. रमोदा - जे. पा. वि. रमोदा
वन प्ररक्षण अधिकारी १०/०८/२३

३।- जे. पा. वि. रमोदा - जे. पा. वि. रमोदा
वन प्ररक्षण अधिकारी १०/०८/२३

५।- डा. ज. वि. रमोदा - डा. ज. वि. रमोदा
वन प्ररक्षण अधिकारी १०/०८/२३

मूल में अंगीकृत।

वन क्षेत्राधिकारी
मधेपुरा (लखी)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांक- 1083 /20-2 चकराता

दिनांक 01 अक्टूबर 2013

सेवा में,

अधिरासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,
हरिद्वार (मुख्यालय कालसी)।



विषय:- संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

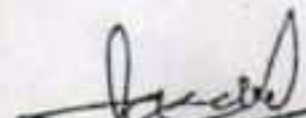
सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 2143/1सी, दिनांक 27-09-2013
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में विभिन्न मार्गों के संयुक्त निरीक्षण की तिथि निम्न प्रकार निहित की जाती है।

क्र.सं.	मोटर मार्ग का नाम	दिनांक
1	रायगी कुल्हा मोटर मार्ग विस्तारीकरण-	दिनांक-07-10-2013
2	डागूरा से पटयूड मोटर मार्ग-	दिनांक-10-10-2013
3	कैलन खड्ड से डिमिच मोटर मार्ग-	दिनांक-12-10-2013
4	चदनी से प्यूनल मोटर मार्ग-	दिनांक-16-10-2013

अतः आप अपने अधीनस्थ प्रतिनिधि को संयुक्त निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय


सुरेश चन्द्र
मालवित्रकार

(डॉ० दिवाकर सिन्हा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

संख्या / दिनांकित
प्रतिलिपि:-

- 1- उपजिलाधिकारी, त्यूनी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथि पर आप अपने अधिनस्थ प्रतिनिधि को संयुक्त निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2- उप प्रभागीय वनाधिकारी, त्यूनी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथि पर आप भी संयुक्त निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित रहे। S.D.O.
- 3- वन क्षेत्राधिकारी, बावर एवं देवघार रेंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संयुक्त निरीक्षण उपस्थित रहे तथा संयुक्त निरीक्षण की आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

No-2190/1सी

01/10/13

प्रभागीय अभियन्ता, निर्माण

1083/20-2 चकराता

1083/20-2 चकराता

मौके पर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

आपके रहे।

प्रभागीय अभियन्ता एवं आ0 व0 027

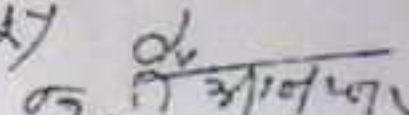
मौके पर उपस्थित रहे।

(डॉ० दिवाकर सिन्हा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

चकराता वन प्रभाग, चकराता

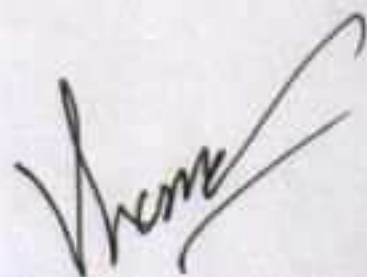
Letter NO-395


सुरेश चन्द्र

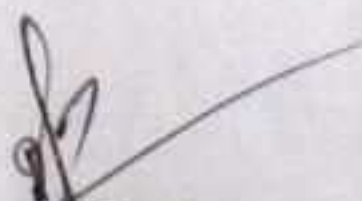
कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

स्थल विशिष्ट होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



वन क्षेत्राधिकारी
देहरादून (मुख्यालय)



उप प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चक्राता वन प्रभाग



प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
चक्राता वन प्रभाग
देहरादून



SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF CI
(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from..... राजि. वि. नि. एडि. कु......
..... मालव..... for diversion under FCA-1980) of 3.15.....ha. of forest land non-
forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction
of..... Extension of Raigi to Kulha motor Road under PMGSY.....
..... राजि. वि. नि. एडि. कु...... The site inspection of the land involved in the proposal has done by
me on dated.....

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-
classified/Protect forest measuring 3.15 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and I barest yes
minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there
of. No

Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important
monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if NO
required-

- The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work
has been started without proper sanction. ✓
- It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions.
A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 X
is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place:..... राजि. वि. नि. एडि. कु......

Date:..... 18.12.2014.....

(Signature)

Name:..... (राजि. वि. नि. एडि. कु.).....

Designation.....

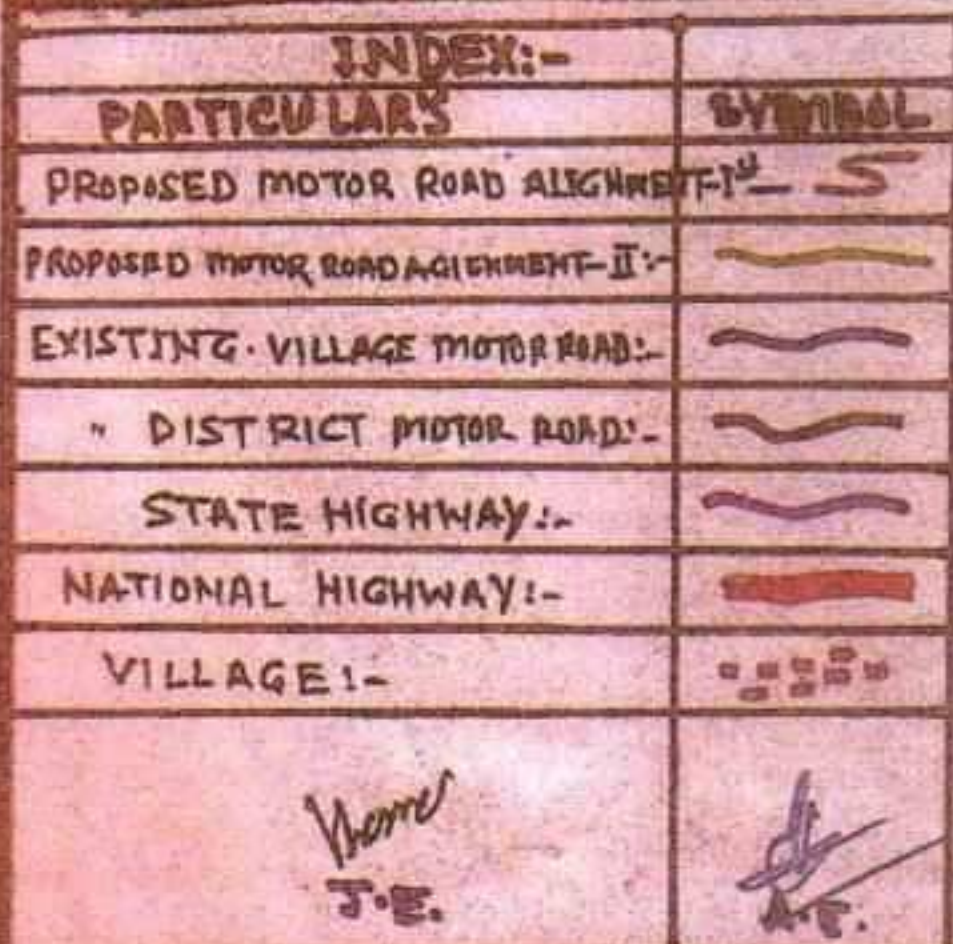
Office Seal राजि. वि. नि. एडि. कु.

राजि. वि. नि. एडि. कु.
राजि. वि. नि. एडि. कु.
राजि. वि. नि. एडि. कु.

N.B. ☒ state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

☐ out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not
applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests,
Government of India proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report
from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection
report from the conservation of forests is required.



Alignment No. (0) is APPROVED,
Which is shown with Red Colour on
Contour Map, as per Recommendation
of Executive Engineer

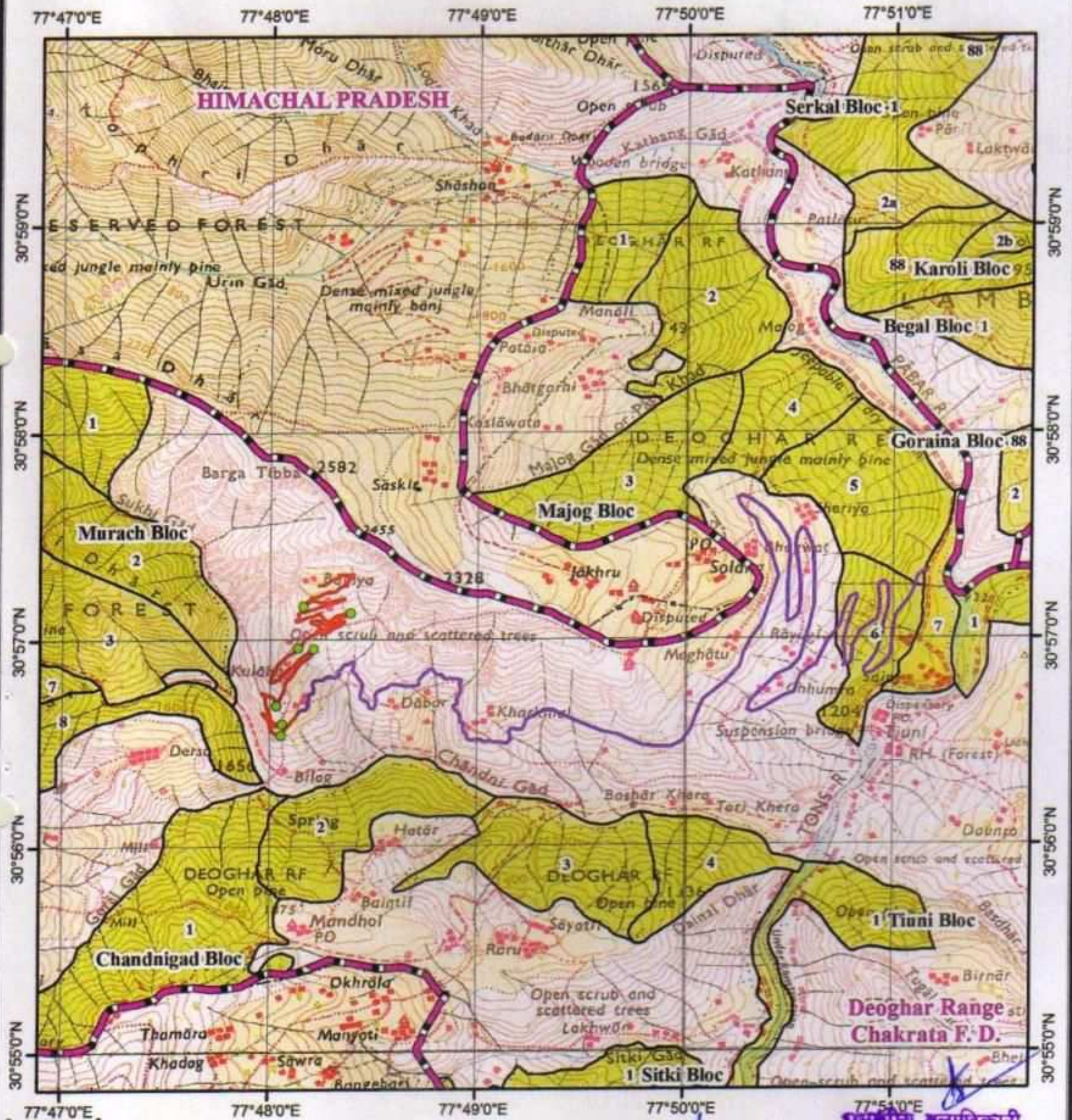
preveen Singh Raw
Datta Dun *

S.E.

डिजिटल मानचित्र :- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी से कुल्हा विस्तारीकरण मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 07.300 कि०मी०)



0 0.5 1 1.5 Km



Legend

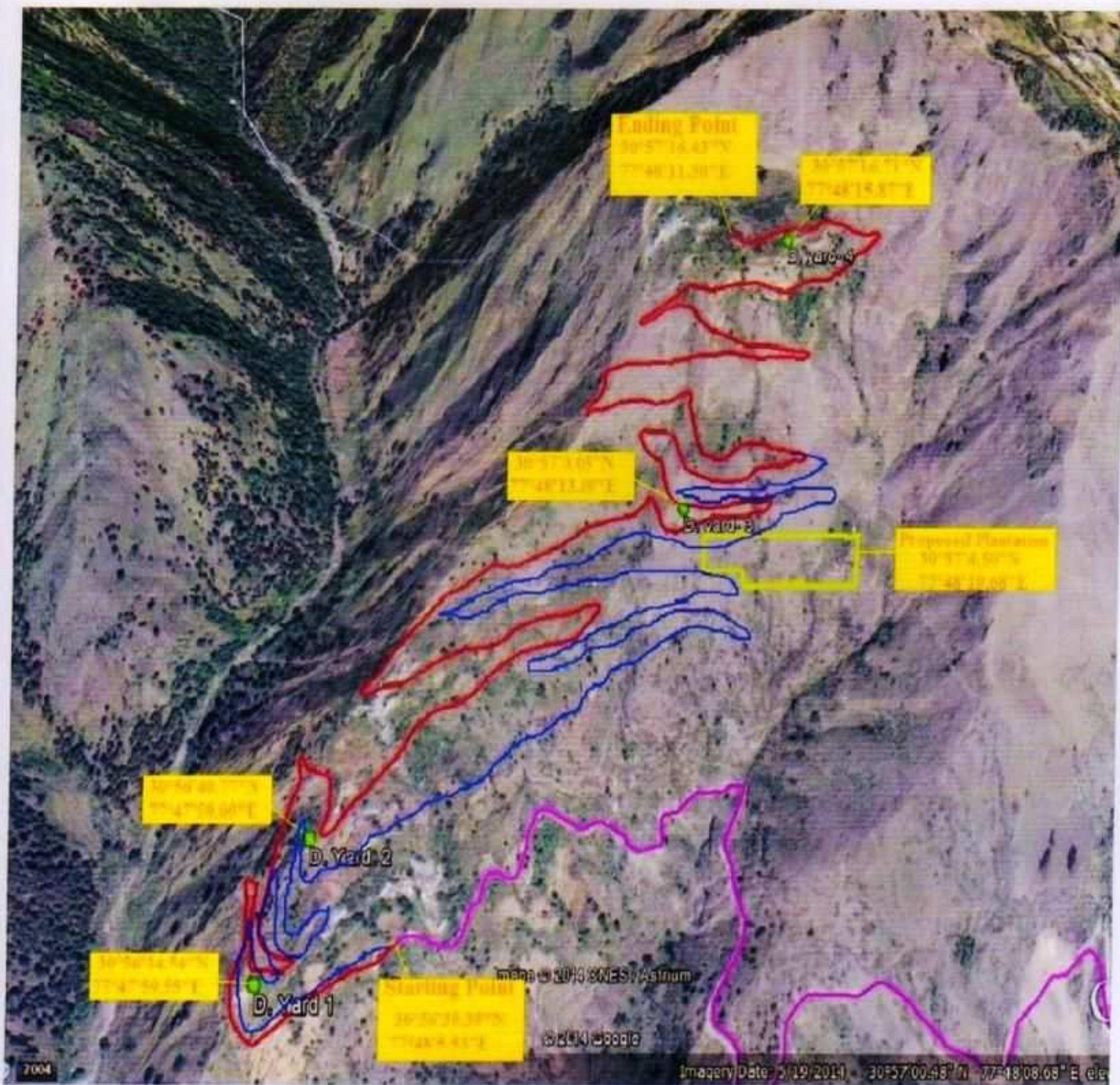
- Muck Disposal Point
- Proposed Road
- Existing Road
- Reaserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- State / Division Boundary

उप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
कालसी उप वन प्रभाग
चक्राता वन प्रभाग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
चक्राता वन प्रभाग
(देहरादून)

अधीनस्थ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोडिंग/वेड
कालसी (देहरादून)

डिजिटल मैप:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी से कुल्हा विस्तारीकरण मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 7.300 कि०मी०)



- Proposed Road
- Alternate Alignment
- Existing Motor Road
- Muck Disposal yard
- Proposed Plantation

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
कालसी उप वन प्रभाग
कालसी वन प्रभाग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
कालसी उप वन प्रभाग
कालसी (देहरादून)

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कालसी (देहरादून)

Sharma
PAE

20/11

Length: 7.300 Kms

Scheme: Under P.M.G.S.Y

Sl. NO.	Items	Alignment 1 (ok)	Alignment 2
12	Relation of proposed alignment with existing and road under construction	Existing Raigi to Kulha Motor Road	Existing Raigi to Kulha Motor Road
13	Position of Quarry	Locally	Locally
14	Any other useful information viz. other important project being taken in the area required for proper completion of the work	Not Known	Not Known
15	Recommendation of Executive Engineer with reason	Alignment No.1 (Shown Red on Contour Map) is Recommended for Sanction. Keeping all the point in new and considering the merits and demerits of the First and second alignment which is first alignment shown in red ink in the map is most suitable and serving more population having lesser dense forest which as accepted by villagers.	

Alignment No. (01) is approved, which is shown with Red Colour on Contour Map, as per Recommendation of Executive Engineer			
<i>V. Kumar</i> Junior Engineer C.D.P.W.D PMGSY, Haridwar (H.Q.-Kalsi)	<i>[Signature]</i> Assistant Engineer C.D.P.W.D PMGSY, Haridwar (H.Q.-Kalsi)	<i>[Signature]</i> Executive Engineer C.D.P.W.D PMGSY, Haridwar (H.Q.-Kalsi)	<i>[Signature]</i> Superintending Engineer PMGSY Circle Mussoorie [Hindi text] [Date]



03/07/13

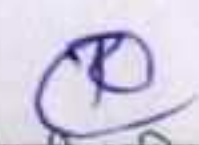
कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। तथा याचित 3.150 है० सिविल भूमि न्यूनतम है इससे कम भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव ~~है~~ **नहीं है**;

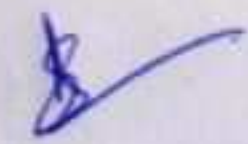

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशसी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


वन क्षेत्रधिकारी
देवघार रेंज
वन क्षेत्राधिकारी
देवघार रेंज (लुन्नी)


वन क्षेत्राधिकारी
देवघार रेंज (लुन्नी)
संरक्षक वन प्रभारी


वन क्षेत्राधिकारी
देवघार रेंज (लुन्नी)
चकराता


उपजिल्गाधिकाारी
लुन्नी

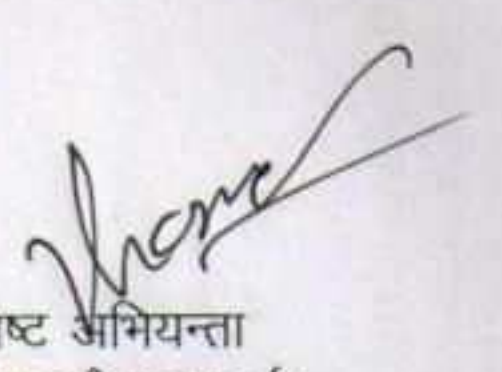

जिल्गाधिकाारी
देहरादून

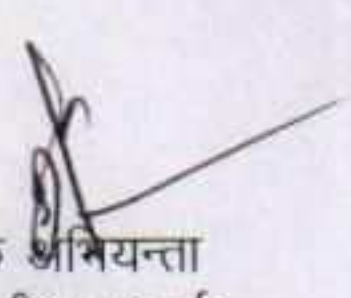


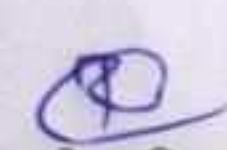
कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

लैंड शेड्यूल
आरक्षित वन भूमि

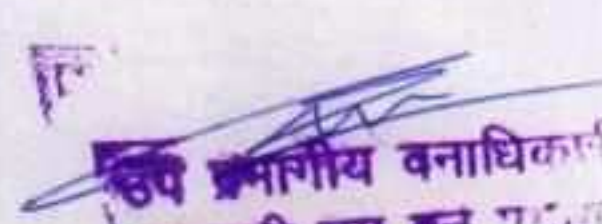
जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लॉक	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	क्षेत्रफल (हे० में)
देहरादून	चकराता			शून्य		


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
चकराता वन प्रभाग (तुमो),
कालसी उप वन प्रभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चकराता वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
(देहरादून)
चकराता



अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी-कुल्हा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भी भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है। उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को सहमत हूँ।

भवदीय

नाम:- महेश देवराज

ग्राम:- कुल्हा

कुल्हा देवराज

कास सेक्सन 1/2 to 1/6 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री महेश देवराज पुत्र श्री मेधा देवराज ग्राम कुल्हा पटवारी वृत्त त्युनी तहसील त्युनी जनपद देहरादून के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०स०	खाता संख्या/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
<u>1/2 to 1/6</u>	<u>84- / 849</u>	<u>0.0400</u>
<u>— " —</u>	<u>84- / 850</u>	<u>0.0040</u>
<u>— " —</u>	<u>84- / 851</u>	<u>0.0970</u>
	योग	<u>0.1410</u>

सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

राजस्व उपनिरीक्षक

क्षे० राजस्व उपनिरीक्षक त्युनी
तहसील त्युनी
जनपद देहरादून

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

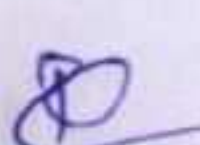
लैंड शेड्यूल

क्र० सं०	भूमि की किस्म	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	क्षेत्रफल (हे० में)
1	सिविल भूमि	3500.00	9	31500.00	3.150
2	नाप भूमि	3800.00	9	34200.00	3.420
योग		7300.00		65700.00	6.570

अतः उपरोक्त 3.150 हे० सिविल भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिसका वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



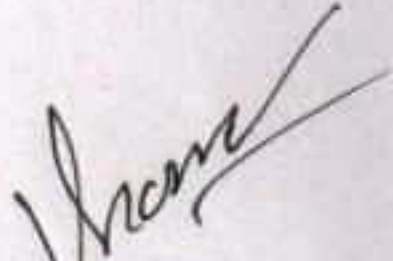


कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

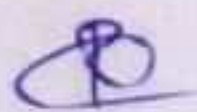
"अनुसूचि शेडयूल" सिविल भूमि

ग्राम कुल्हा

क्र० सं०	जिला	परगना	खत	तहसील	ग्राम	खाता संख्या	भूमि का विवरण		
							खसरा न०	कुल क्षेत्रफल	अर्जित क्षेत्रफल
1	देहरादून	ज० बाबर	देवघार	त्यूनी	कुल्हा	144	24	3.858	0.292
							530	0.775	0.020
							533	1.905	0.100
							773	1.578	0.035
							899	6.572	0.320
							963	2.560	0.160
							907	0.967	0.250
							985	1.206	0.250
							1005	3.675	0.450
							1083	12.225	0.823
							1015	3.250	0.300
							1049	6.050	0.750
कुल योग									3.150


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


विद्यादास भीरुनाथ
राजस्व उप निरीक्षक
तहसील व क्षेत्र त्यूनी, देहरादून


तहसीलदार
त्यूनी


उपजिलाधिकारी
त्यूनी


जिलाधिकारी
देहरादून



कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी से कुल्हा
मोटर मार्ग के विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई— 7.300 किमी०)

परियोजना हेतु नाप भूमि उपयोग किये जाने का प्रमाण पत्र।

उपरोक्त प्रयोजन हेतु समंरेखण में पडने वाली नाप भूमि को विभाग द्वारा ग्रामीणों के साथ आपसी सहमति के आधार पर लिया जाता है। जिस हेतु सभी ग्रामवासियों के साथ बैठक कर अनापत्ति प्रमाण भी लिया जाता है। भूमि के एवज में भूमिधरों का मुअवजा दिया जाता है तथा आपसी समझौते के आधार भूमि अधिग्रहण की जाती है। अगर किसी भूमिधर के साथ आपसी सहमति नहीं बन पाती है तो धारा 4 एवं 6 कार्यवाही कर भूमि अधिग्रहित की जाती है, यह एक सामान्यतः प्रक्रिया है।



अपर सहायक अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०
पी०एम०जी०एस०वाई, हरिद्वार
मुख्यालय कालसी



सहायक अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०
पी०एम०जी०एस०वाई, हरिद्वार
मुख्यालय कालसी



अधिशाली अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०
पी०एम०जी०एस०वाई, हरिद्वार
मुख्यालय कालसी

प्रपत्र-12

परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के

अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण

हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।(ल0-7.300कि0मी)

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	
1	आरक्षित वन भूमि	—	—	—	—
2	सिविल सोयम भूमि	3500	9.00	3.150	—
3	वन पंचायत भूमि	—	—	—	—
	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	—	—	—	—
	वन भूमि का योग	3500	9.00	3.150	—
4	नाप भूमि	3800	9.00	3.420	—
	कुल योग-	7300		6.570	

प्रयोक्ता एजेन्सी



अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कालसी (देहरादून)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी-कुल्हा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भी भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है। उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को सहमत हूँ।

भवदीय भागमल
नाम:- भागमल
ग्राम:- कुल्हा

कास सेक्सन 012010932 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री भागमल पुत्र श्री फेरीया ग्राम कुल्हा
पटवारी वृत्त ल्युनी तहसील ल्युनी
जनपद देहरादून के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०स०	खाता संख्या/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
<u>012010932</u>	<u>140- / 830</u>	<u>0.0690</u>
<u>— " —</u>	<u>140- / 832</u>	<u>0.0650</u>
	योग	<u>0.1340</u>

सहायक अभियन्ता

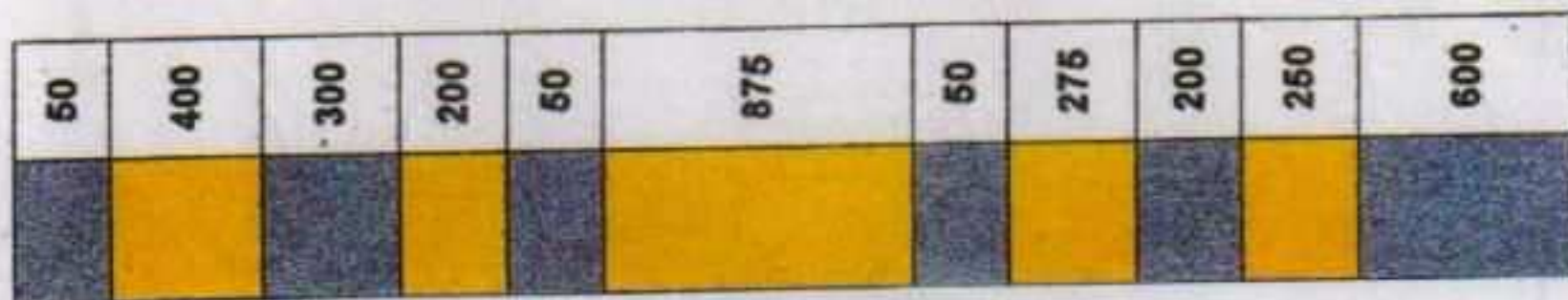
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

राजस्व उपनिरीक्षक

क्षे० राजस्व उपनिरीक्षक ल्युनी
तहसील ल्युनी
जनपद देहरादून

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

बार चार्ट



Sl. N.	Type of land	Length	Width	Area	Hect.	Sym.
1	Nap Land	3800 Mt.	9 Mt.	34200 Sqm.	3.420	
2	Civil Land	3500 Mt.	9 Mt.	31500 Sqm.	3.150	

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



वन ईकाधिकारी

उपजिलाधिकारी

उप प्रभारी वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
सकलता वन प्रभाग

ACB.

प्रभारी वनाधिकारी
मुख्यालय वन प्रभाग
(देहरादून)

जिलाधिकारी

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



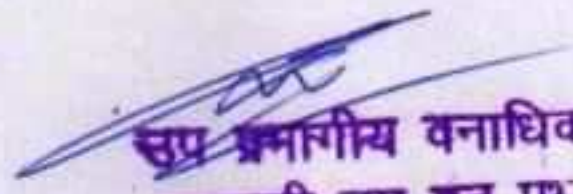
सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



वन क्षेत्रधिकारी
देवचर संजय
विभागाध्यक्ष (सुवी)



सुप प्रभारी वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभारी
चक्रवर्ती तन



प्रमाणित वनाधिकारी
चक्रवर्ती वन प्रभारी
प्रमाणित वनाधिकारी (देहरादून)
चक्रवर्ती



प्रपत्र-15

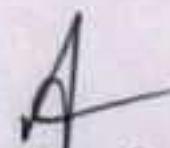
परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के
अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण
हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।(ल0-7.300कि0मी)

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 10.10.2013 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

आरक्षित वन भूमि पर प्रभावित पेड़

क सं	वन ब्लाक/ कम्पाटमेन्ट	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
-	-	-	-	-	-	शून्य	-	-	-	-	-	-


राजी अधिकारी
देवदार राबि (राबि)


उप प्रभागीय वनाधिकारी
"कालसी उप वन प्रभाग"
सकसता वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
सकसता वन प्रभाग
सकसता (देहरादून)

प्रपत्र-15.1

परियोजना का नाम :-जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के
अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण
हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।(ल0-7.300कि0मी)

(7.00मीटर चौड़ाई में वृक्षों की गणना)
सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	जौनसार -बाबर	चीड़	03	02	01	—	—	—	—	—	—	06
		योग—	03	02	01	—	—	—	—	—	—	06

[Handwritten signature]
म.प.उ.

[Handwritten signature]
तहसीलदार/उप
त्यूनी

जिलाधिकारी

(राजि अधिकारी)

देवचारा प्रावि (त्यूनी)

[Handwritten signature]
प्रभागीय वनधिकारी

चक्रवर्ती वन प्रभाग
(प्रभागीय वन अधिकारी
देहरादून)

[Handwritten signature]

विवादत नौचिवाल
रा०उप०मि०/धानाध्वनी
तहसील व क्षेत्र त्यूनी देहरादून

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
उप प्रभागीय वन अधिकारी
चक्रवर्ती उप वन प्रभाग
चक्रवर्ती वन प्रभाग

प्रपत्र-15.2

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के
अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण
हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (ल०-7.300कि०मी)

(9.00मीटर चौड़ाई में वृक्षों की गणना)
सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	जौनसार -बाबर	घीड़	02	02	-	-	-	-	-	-	-	04
		योग-	02	02	-	-	-	-	-	-	-	04

तहसीलदार/उप

जिलाधिकारी

(राजि)

रायगी कुल्हा (लुनी)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क

योजना के अन्तर्गत

(रायगी कुल्हा) (लुनी)

)

निष्ठादाता भीतिवाल

रा० ७३००/७३००/७३००

तहसील व क्षेत्र लुनी, देहरादून

उप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क

योजना के अन्तर्गत

(रायगी कुल्हा) (लुनी)

प्रपत्र-15.3

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के

अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण

हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।(ल0-7.300कि0मी)

नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

क0 सं0	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
-	-	-	-	-	-	-	शून्य	-	-	-	-	-

तहसीलदार

तहसीलदार
त्युनीराजि अधिकारी
क. व. अधिकारी
देवदार राय (त्युनी)प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
देवदार राय (त्युनी)उप प्रभागीय वनाधिकारी
कलसी उप व. व. व.
देवदार राय (त्युनी)विद्यादा भट्टवाल
रा.उप.नि.०/थानाध्यक्ष
तहसील व क्षेत्र त्युनी देहरादून

उप जिलाधिकारी

प्रपत्र-15.4

परियोजना का नाम - जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।(ल0-7.300कि0मी)

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश ।

क्र० सं०	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग									योग
		10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	सिविल सोयम	03	04	03	—	—	—	—	—	—	10
3	वन पंचायत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	03	04	03	—	—	—	—	—	—	10
4	नाप भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग										

राजि अधिकारी
मुख्य प्रभागीय वनाधिकारी
(देहरादून)

मुख्य प्रभागीय वनाधिकारी
"कलसी उप वन प्रभाग"
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
मुख्य प्रभागीय वनाधिकारी
(देहरादून)

प्रपत्र-15.5

परियोजना का नाम — जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के
अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण
हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।(ल0-7.300कि0मी)

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण ।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 10 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 06 वृक्षों का पातन किया जाना है ।


प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
कालसी (देहरादून)


राजि वनाधिकारी
लवारा रावि (लुपी)


प्रधानीय वनाधिकारी
प्रमाणित वन प्रमाण
कालसी (देहरादून)


उप प्रधानीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रमाण
कालसी वन प्रमाण

प्रपत्र-15.6

परियोजना का नाम— जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के
अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण
हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।(ल०-7.300कि०मी)

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने वाले पेड़ों
का कुल मूल्य रुपये आंकलित किया जाता है।


राजेंद्र सिंह अधिकारी
विद्यार्थी रायगी (कुल्हा)


उप प्रभारी वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
देहरादून


प्रभारी वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
देहरादून

सेवा में

वगैरह अधिकारी मध्ये म
देवदास रैवा लपुनी

विषय: - रायगा, कुल्हा मोटर में आने वाले वृक्षों की लुप्तप्राय प्रजाति
रिपोर्ट।

मध्यम, रायगा से कुल्हा मोटर मार्ग में बाटों पर आने वाले
वृक्षों की लोक प्रजाति विज्ञान के कार्यचारों के साथ लुप्तप्राय प्रजाति
रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

क्षेत्र का नाम	विस्तार फीट	वर्ष	वृक्ष संख्या	टिप्पणी
कुल्हा रायगा	चौड़ा ६५	८-२०	३	
	— ५ —	२०-३०	५	१६१
	— ५ —	३०-५०	३	१३
		योग	१०	

अतः लुप्तप्राय प्रजाति रिपोर्ट मध्ये म के सेवा में प्रेषित
संग आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मध्यम

१:- नरेश सिंह चौधरी
वन विभाग इलाहाबाद १०/०८/२३

२:- जी. पाल सिंह राय
वन विभाग इलाहाबाद २३/०८/२३
(जी. पाल सिंह राय)

३:- जी. पाल राय
वन विभाग इलाहाबाद

५:- देवदास रैवा
वन विभाग इलाहाबाद

मूल में अंगूठा

वन विभाग इलाहाबाद
(रैवा)

मूल्यांकन सूची

वन विभाग (वन क्षेत्राधिकारी) द्वारा तैयार संलग्न की जानी है।

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

बॉज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित रायगी से कुल्हा मोटर मार्ग (7.300 किमी०) विस्तारीकरण के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बॉज वृक्षों की गणना शून्य पायी गई।

क०स०	ब्लॉक	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	90 से अधिक	
शून्य												

टिप्पणी :- उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्र अधिकारी
देहरादून (रायगी)

प्रभागीय वनाधिकारी
चक्रवर्ती वन प्रभाग
(देहरादून)
चक्रवर्ती

वन संरक्षक

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चक्रवर्ती वन प्रभाग

प्रपत्र-17

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के
अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण
हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।(ल0-7.300कि0मी)

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

प्रयोज्यता सी जे सिन्हा
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
कालसी (देहरादून)

प्रधानीय वनाधिकारी
चक्राता उप वन प्रभाग
प्रधानीय वनाधिकारी
(देहरादून)

उप प्रधानीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चक्राता वन प्रभाग

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी)

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से मोटर मार्ग के अन्तर्गत
चिन्हित वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

वन क्षेत्राधिकारी
देवघर (रायगी कुल्हा)
विभाग वन्य (लुनी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कलसी उप वन प्रभाग
रायगी कुल्हा वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
(देहरादून)
चकराता

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित रायगी से कुल्हा मोटर मार्ग (7.300 किमी०) विस्तारीकरण में प्रयुक्त 3.150 है० सिविल भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नहीं है।

वन क्षेत्र अधिकारी
देहरादून (मुख्य)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
'कालसी उप वन'
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून)
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता

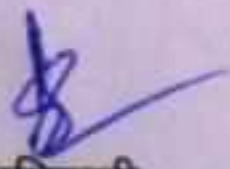
प्रपत्र-19

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के
अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण
हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।(ल0-7.300कि0मी)

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ
राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी 190 किमी० है। क्षेत्रीय दूरी (Air Distance)
लगभग 15.00 किमी० है।


प्रमोद सिंह
अधिसूचक अभियंता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कालसी (देहरादून)


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
सकलता वन प्रभाग
कालसी (देहरादून)


उप प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
सकलता वन प्रभाग

अनापत्ती प्रमाण पत्र

(195)

आज दिनांक 15/04/2013 को विभाग द्वारा जो.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत

राष्ट्रीय से कुल्हा भीम मार्ग कारगु सर्वेक्षण

काय आज दिनांक 15-4-2013 को 126 से 300

किया गया है अतः सर्वेक्षण समस्त ग्रामवासियों

की देख देख में किया गया

समस्त ग्रामवासी कुल्हा, वागीपों वाले इस सर्वे

कार्य से पूर्ण रूप से सहमत हैं।

126 से 300 किया गया है और नं०

मान्देर से निचे रोड समाप्त की गई है

जिस वागीपों गोवू पूर्ण रूप से रोड

से जुड़ जायेगा, (कुल्हा का पत्र)

1) समस्त ग्रामवासियों को अपनी नाप व वेजाप

भूमि देके में लिखी भी व्यक्ति को कोई

आपत्ती नहीं है।

विभाग द्वारा जो पुख्ता दिमा जायेगा वह

मान्य होगा।

10 मंगलशिम

हम समस्त ग्रामवासी

1) अश्वाराम

2) अश्वाराम

11 विष्णु

12 विजयराज

3) अपाराम

4) रवि दूत

14 बलवर्धन

5) ~~विष्णु~~ (नारायण)

15 अश्वाराम

6) मीतीराम अप. पन्ना

16 अश्वाराम

7) ~~विष्णु~~ 15.4.2013

8) केशव रां सिंह

9) चनीराम

प्रमाण पत्र
हस्ताक्षर

Member

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित रायगी कुल्हा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल 3.150 हे० सिविल भूमि प्रस्तावित है। जिसमें सिविल सोयम वन भूमि 3.150 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05/02/2006 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, आ०एफ०सी० केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Groups) प्रभावित नहीं हो रही है।

अधिशोषी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

उपजिलाधिकारी
ल्यूनी

जिलाधिकारी
देहरादून

निष्पन्न सौदिवाल
स०उप०नि०/मानाध्यक्ष
सहसंल व क्षेत्र ल्यूनी, देहरादून

तहसीलदार
ल्यूनी



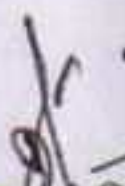
कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

भू- वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स द्वारा
दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्यों के दौरान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया
जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



Office of Empanelled Geologist
P.W.D. Uttarakhand

Geological Investigation Report
E.G. – Road / Bridge / Alignment
Kalsi – 5 / 2013

Geological Assessment of the Alignment Corridor Proposed For –
Extension of Raigi to Kulha Motor Road,
Block – Chakrata, Distt. Dehradun

25 September 2013

J.P. Madhwal
Consultant Geologist
Shantikunj, Lane-1,
Nehrugram Road,
Nathanpur, Dehradun
Phone – 0135 – 6448774
Mob – 9412965965

Geological Assessment of the Alignment Corridor Proposed For –
Extension of Raigi to Kulha Motor Road,
Block – Chakrata, Distt. Dehradun

J.P. Madhwai

25/09/2013

1. **Introduction :-** The Construction Division, Public Works Department, PMGSY Kalsi, has proposed the construction of 7.300 Km. long motor road named Extension of Raigi to Kulha Motor Road on the request of the Executive Engineer, C.D. P.W.D. PMGSY, Kalsi, I carried out the geological assessment of the proposed alignment of the road in presence of Er. Praveen Rawat the concerned consultant.
2. **Location:-** The existing branch road of Tuni to Rohudu motor road up to Raigi village, it is extension of this branch road up to Kulha village having 10 H.P. Bends.
3. **Geological Assessment:-** The area of the proposed alignment is located in the Garhwal Lesser Himalayan Belt in the close vicinity of NAT, which separates the rocks of Garhwal Nappe from the rocks of krol Nappe. The quartzites and dolomite of Garhwal formation are exposed in and around the area of the proposed road. Mostly the quartzites which are hard compact and massive in nature are exposed on the slopes of the proposed alignment. These quartzites are interveined with the thin partings of phyllites which are chloritic in nature. These rocks are traversed by four prominent joint sets and at places they are weathered, oxidized and tectonized in nature. At along the alignment corridor bends of phyllites were also encountered. Most of the slopes across the alignment are inclined at steep to very steep and are generally oriented in N 150 to 320 direction. These rocks across the alignment slopes are mostly covered with the thin cover of overburden/ hill wash material and its thickness has been assessed between 1.0 m to 1.5 m order. It has been observed that about 85 percent to 90 percent of the alignment passes through the rocky slopes. The north easterly joints dissecting rock masses are sealed with the secondary inclusions and occasionally opened and infilled by the grounded/ crushed rock.

By and large the entire slopes of the proposed road are stable and free from any sliding/ mass wasting.

On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and the facts mentioned above the following recommendations are being made for the construction of the proposed road.

The overburden material exposed along the alignment corridor is comprised of the scanty rock fragments of various shapes and sizes embedded in the clay- silt matrix. This overburden material is naturally well compacted and dense in nature.

The slope forming overburden material do not contain any soft/dispersive soils. .

By and large the alignment slopes are stable and do not bear any signature of mass wasting/land sliding.

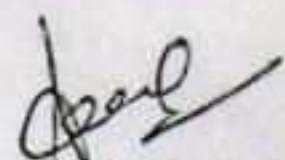
On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and the facts mentioned above the following recommendations are being made for the construction of the proposed road.

4. Recommendation:-

- (i) The alignment some time traverses along/across minor fault zone which is geologically fragile and special attention needs to be given for stability of road where alignment crossing the Nalas or Gads or local streams.
- (ii) The hill slope is another factor responsible for geological hazards the road basically traverses the slope class 35° to 48° special attention needs to be given for stability where it is 48° to 65° in some parts.
- (iii) From the road by half cut – half fill techniques and ensure the proper compaction of the fill material.
- (iv) Do not dispose the debris in hill side, dispose it in a safe zone.
- (v) Do not blast heavily on the rocks and blasting is restricted near the human settlement/ public property.
- (vi) The road must have extra wide lined long drain with adequate cross drainage arrangement.

- (vii) The road must be formed shoulder to shoulder paved, this is so to check the water ingress into the sub surface material.
- (viii) Construct suitably designed retaining walls/ Brest Wall all along the road, specially in H.P. Bends, it is essential for the overall stability of the hill slope.
- (ix) All the construction activity must be carried out as per the standards and norms following the IS codes prescribed for the similar civil construction in Himalayan Zone.

5. Conclusion:- On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and with the above recommendations, the site was found geologically suitable for the construction of 7.300 Km. long motor road named **Extension of Raigi to Kulha Motor Road**, Distt. Dehradun, Uttrakhand.


(J.P. Madhwal)
Consultant Geologist

(J.P. Madhwal)
B.Sc. (Geology)
Consultant Geologist

"TASK FORCE CERTIFICATE"

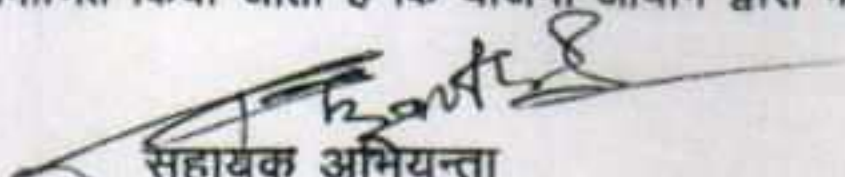
- 1- Lay out of the Land be followed as possible.
- 2- Heavy cutting filling be avoided as far as possible the technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- 3- Unstable slide- prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- 4- A comparison of various possible alignments with reference potential be made and the alignment involving minimum crosion risks be preferred.

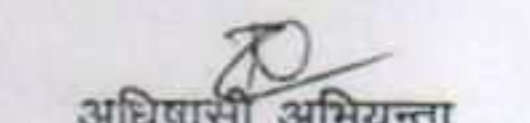
Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of roads. Broadly the measures to be taken have been identified as:-

- 1- Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- 2- Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned. Keeping in view the line of least resistance and the existence of joints. Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rocks. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for an online dispersion of chock waves. So that minimum disturbance is caused to the rock stratum as result of the blasting process.
- 3- All cut slopes. Unstable hill side and slide prone crosion prone areas are to be provalued with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed be CRRl like sample vegetative Turing. Bitumen much treatment and slide treatment by Jute netting these simple vegetaive Turing seams to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be establised in the dandified slopes immediately after the excavation is made.
- 4- adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains culverts, breast walls retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slopes. Growth vegetative cover is stimualte in the disturbed hill slope above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants In certain selected unstable areas terraced Afforestation has also been protected as a stablised measure with good results.

Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an in built mechanism for tacking land shadow erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD', Border Roads Organisation and others engaged in construcion of hill roads these should be observed

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतिया याचक विभाग को मान्य है।


 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
 हरिद्वार(मु०-कालसी)


 अधिषासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
 हरिद्वार(मु०-कालसी)

कार्य का नाम:— जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई— 7.300 किमी०)

मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण—पत्र

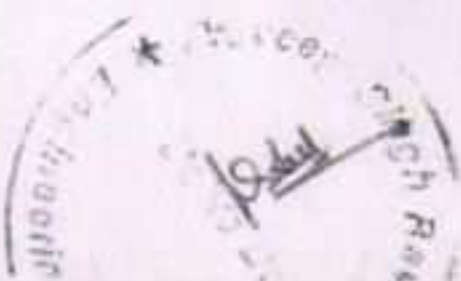
1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अतः उसके किसी भी भाग को किसी भी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेगा और ऐसा किये जाने पर संबंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबंधित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस संबंध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से अच्छा नदित वन एवं जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय, केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं विभाग के कर्मचारियों को निशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापिस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न करने पर भी हस्तान्तरित भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रकार का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर "एलाइमेंट" तय होते समय स्थायी स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस संबंध में प्रमुख अभियन्ता लो०नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10.12.1982 में निहित आदेशों का पालन भी लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा, कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्त ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सूची सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ०प्र० वन नियम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मी० एवं 30' से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज (वप) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा, या खम्भों को ऊँचा करके इससे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संबंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करियेगा।
17. लिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लायी जाती हैं तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय जब उक्त शर्तों का पूर्ण पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है। तथा उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

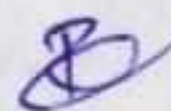
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सिविल भूमि किसी अन्य परियोजना के लिये प्रस्तावित/आवंटित नहीं की गयी है।



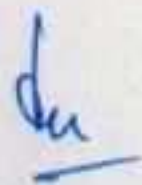
कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



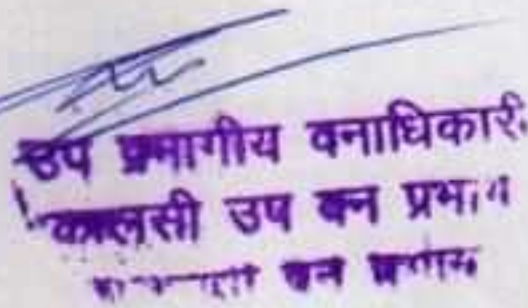
राजस्व उप निरीक्षक
त्यूनी



तहसीलदार
त्यूनी



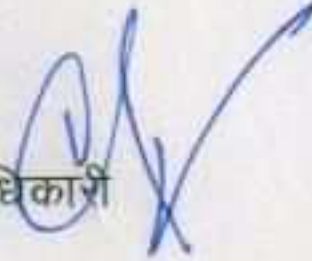
वन क्षेत्राधिकारी
देवघर रजु
विभाग राय (त्यूनी)



उप प्रमागीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
रायगरी वन प्रभाग



प्रमागीय वनाधिकारी
चक्रवर्ती वन प्रभाग
प्रमागीय वनाधिकारी
देहरादून (देहरादून)



उपजिलाधिकारी
त्यूनी

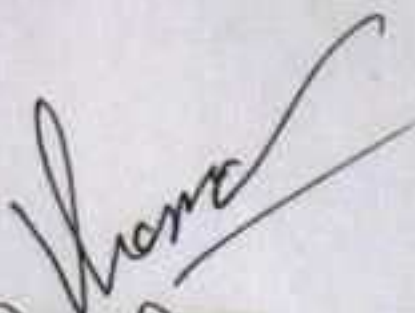


जिलाधिकारी
देहरादून

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

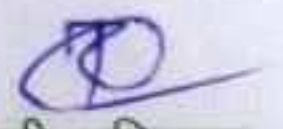
प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने की टोपोशीट का मानचित्र जिसमें सिविल भूमि को पीले रंग से तथा नाप भूमि को अन्य रंग से रेखांकित किया गया है। प्रस्तावित समरेखण को लाल रंग से एवं वैकल्पिक समरेखण को अन्य रंग से दर्शाया गया है।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को ईंधन के प्रयोग के लिये प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कुकिंग गैस/केरोसिन ऑयल उपलब्ध कराया जायेगा ताकि आस-पास वनों के वृक्षों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



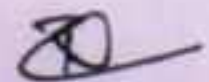
प्रपत्र-33

परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।
(लम्बाई 0-7.300 कि०मी०)

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/ परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र०सं०	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1	कुल्हा	629	44 34
2	बागीया	200	12
	—	—	—
योग:-		829	26 46



प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कालसी (देहरादून)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई- 7.300 किमी०)

प्राक्कलन बाबत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण के अन्तर्गत कुल्हा सिविल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण 3.150 है० (देवघार रेंज)

प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वे व सीमांकन	प्रति है०	52.00	3.15	163.80
2	क्षेत्र सामान्य झाड़ी कटान	प्रति है०	690.00	3.15	2173.50
3	अग्रिम दीपाल बन्दी (फेसिंग) प्र० है० 84 घ०मी०	प्रति घ०मी०	127.00	400.00	50800.00
4	कन्दूर फरो का खुदान	प्रति है०	4.30	900.00	3870.00
5	गड्डों का खुदान (0.30X0.30x0.45)	प्रति गड्ढा	3.25	6300.00	20475.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति है०	212.00	3.15	667.80
7	प्रथम वर्ष पौधों की कीमत	प्रति पौध	3.00	6300.00	18900.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र एवं औजार तेज करना आदि	प्रति है०	212.00	3.15	667.80
9	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य करना, पर्कुलेशन टैंक आदि	प्रति है०	4000.00	3.15	12600.00
योग					110317.90
द्वितीय वर्ष					
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30X0.30x0.45 mt)	प्रति है०	0.55	6300.00	3465.00
2	कन्दूर फरो में बीज बुआन (750 र०मी०प्र० है०)	प्रति र०मी०	0.35	900.00	315.00
3	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	2.00	6300.00	12600.00
4	पौधों दुलान कार्य (18 किमी० वाहन से)	प्रति पौध	4.80	6300.00	30240.00
5	सिरबोझ दुलान कार्य (2 किमी०)	प्रति पौध	69.00	6300.00	434700.00
6	लोडिंग अनलोडिंग	प्रति पौध	31.40	6300.00	197820.00
7	पौध रोपण व थावला बन्दी (रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत दुलान सहित)	प्रति सै० पौध	1.20	6300.00	7560.00
8	रोपित पौध की निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	प्रति है०	1.30	6300.00	8190.00
9	कन्दूर फर्मों में बीज बोने हेतु बीज एकत्रीकरण	प्रति है०	LS	20.00	1000.00
10	रोपण क्षेत्र में सीढ़ी बनाना (दो तरफा सीढ़ी)	प्रति है०	290.00	2.00	580.00
11	अनुरक्षण 8 माह हेतु		1041.00	10.00	10410.00
योग					706880.00
तृतीय वर्ष					
1	अनुरक्षण 9 वर्ष हेतु (9 वर्ष x 12 माह = 108 माह)	ल०स०	1041.00	200.00	208200.00
योग					208200.00
महा योग					1025397.00

भवदीय

वन क्षेत्र अधिकारी
देवघार रेंज रायगी
देवघार रेंज रायगी

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई- 7.300 किमी०)

प्राक्कलन बाबत कुल्हा सिविल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत 6.30 है० वृक्षारोपण कार्य

रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
प्रथम चरण					
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति है०	6.30	92.00	579.60
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	प्रति है०	6.30	1214.00	7648.20
3	सुरक्षा दीवाल निर्माण $668 \text{ मी०} \times (60+45) \times 1.15 = 403.30$	प्रति घ०मी०	550	242.00	133100.00
4	कन्टूर फरो का खुदान कार्य	प्रति है०	6.30	2280.00	14364.00
5	अग्रिम मृदा कार्य $0.30 \times 0.30 \times 0.45 = 5200$ गड्ढे	प्रति गड्ढा	6.30	5.70	35.91
6	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति है०	6.30	373.00	2349.90
7	प्रथम वर्ष पौधों की कीमत	प्रति पौध	6300	4.58	28854.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र एवं औजार तेज करना आदि	प्रति है०	6.30	376.00	2368.80
9	भूमि संरक्षण एवं वन संरक्षण (10 है० को आधार मानते हुए परकुलेशन टैंक, वर्षा वन संरक्षण)	प्रति है०	6.30	7040.00	44352.00
योग प्रथम चरण					233652.41
द्वितीय चरण					
1	गड्ढा भरान कार्य	प्रति है०	6300	0.97	6111.00
2	कन्टूर फरो का बीज बुआई कार्य करना	प्रति र०मी०	1550	0.60	930.00
3	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	6300	0.82	5166.00
4	पौधों दुलान कार्य (25 प्रतिशत नंगी जड़ तथा 75 प्रतिशत बैग पौध रोपण तथा 25 कि०मी० बान व 3 कि०मी० सिरबाझ औसत पर)	प्रति पौध	6.30	5500.00	34650.00
5	पौधों रोपण व थवला बन्दी	प्रति पौध	6.30	2200.00	13860.00
6	निराई गुढई व मल्लिंग (दो बार)	प्रति पौध	6.30	176.00	1108.80
7	खाद व दवा पर व्यय	प्रति सै० पौध	6.30	2200.00	13860.00
8	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 9 माह (कम से कम 10 है० पर)	प्रति है०	6.30	4752.00	29937.60
9	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास फूस एवं ज्वलन शील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्रति है०	6.30	282.00	1776.60
10	9.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्रति है०	6.30	213.00	1341.90
11	9.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	(अ) प्रशिक्षण	ल०स०	6.30	444.00	2797.20
	(ब) प्रोत्साहन	ल०स०	6.30	222.00	1398.60

12	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध दुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी, आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पालीथीन सीट कय वर्ष में 3 बार फोटोग्राफी, फिल्ड स्तरीय, कार्यों का प्रचार, प्रसार एवं डाक्यूमेंटेशन आदि कार्य	प्रति है०	6.30	1021.00	6432.30
13	कन्दूर खाईयों में घास स्लिप का रोपण दुलान सहित	प्रति है०	6.30	679.00	4277.70
योग द्वितीय चरण					123647.70
कुल योग (प्रथम व द्वितीय चरण)					357300.11
तृतीय चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्रति सै० पौध	6.30	6336.00	39916.80
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास फुस एवं जवलन शील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्रति है०	6.30	282.00	1776.60
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्रति है०	6.30	213.00	1341.90
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	प्रति है०			
	(अ) प्रशिक्षण	ल०स०	6.30	444.00	2797.20
	(ब) प्रोत्साहन	ल०स०	6.30	222.00	1398.60
योग तृतीय चरण					47231.10
चतुर्थ चरण (तृतीय वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि सहित)					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्रति सै० पौध	6.30	6970.00	43911.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास फुस एवं जवलन शील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्रति है०	6.30	310.00	1953.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्रति है०	6.30	234.00	1474.20
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	प्रति है०			
	(अ) प्रशिक्षण	ल०स०	6.30	488.00	3074.40
	(ब) प्रोत्साहन	ल०स०	6.30	244.00	1537.20
योग चतुर्थ चरण					51949.80
पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्रति सै० पौध	6.30	6970.00	43911.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास फुस एवं जवलन शील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्रति है०	6.30	310.00	1953.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्रति है०	6.30	234.00	1474.20
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	प्रति है०			
	(अ) प्रशिक्षण	ल०स०	6.30	488.00	3074.40
	(ब) प्रोत्साहन	ल०स०	6.30	244.00	1537.20
योग पंचम चरण					51949.80

सष्टम् चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्रति सै० पौध	6.30	6970.00	43911.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास फुस एवं ज्वलन शील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्रति है०	6.30	310.00	1953.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्रति है०	6.30	234.00	1474.20
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभाविन्त होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	प्रति है०			
	(अ) प्रशिक्षण	ल०स०	6.30	488.00	3074.40
	(ब) प्रोत्साहन	ल०स०	6.30	244.00	1537.20
योग सष्टम् चरण					51949.80
सप्तम् चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्रति सै० पौध	6.30	6970.00	43911.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास फुस एवं ज्वलन शील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्रति है०	6.30	310.00	1953.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्रति है०	6.30	234.00	1474.20
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभाविन्त होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	प्रति है०			
	(अ) प्रशिक्षण	ल०स०	6.30	488.00	3074.40
	(ब) प्रोत्साहन	ल०स०	6.30	244.00	1537.20
योग सप्तम् चरण					51949.80
अष्टम् चरण (सप्तम वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि सहित)					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्रति सै० पौध	6.30	7667.00	48302.10
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास फुस एवं ज्वलन शील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्रति है०	6.30	341.00	2148.30
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्रति है०	6.30	257.00	1619.10
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभाविन्त होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	प्रति है०			
	(अ) प्रशिक्षण	ल०स०	6.30	537.00	3383.10
	(ब) प्रोत्साहन	ल०स०	6.30	268.00	1688.40
योग अष्टम् चरण					57141.00

नवम् चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति सै0 पौध	6.30	7667.00	48302.10
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास फूस एवं ज्वलन शील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्रति है0	6.30	341.00	2148.30
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्रति है0	6.30	257.00	1619.10
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	प्रति है0			
	(अ) प्रशिक्षण	ल0स0	6.30	537.00	3383.10
	(ब) प्रोत्साहन	ल0स0	6.30	268.00	1688.40
योग नवम् चरण					57141.00
दशम् चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति सै0 पौध	6.30	7667.00	48302.10
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास फूस एवं ज्वलन शील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्रति है0	6.30	341.00	2148.30
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्रति है0	6.30	257.00	1619.10
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	प्रति है0			
	(अ) प्रशिक्षण	ल0स0	6.30	537.00	3383.10
	(ब) प्रोत्साहन	ल0स0	6.30	268.00	1688.40
योग दशम् चरण -					57141.00
महायोग -					783753.41

630 है 4180.00 = 8.19 500 = 0

9/9/14
वन दरोगा

3-9-2014

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी वन प्रभाग
(देहरादून)

वन संरक्षण अधिकारी
विभाग सचिव (लुनी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
कालसी वन प्रभाग

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
कालसी (देहरादून)



कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु अर्जित सिविल भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.150 है० है, के हस्तान्तरण हेतु दुगुने क्षेत्रफल 6.300 है० अनवरत सिविल भूमि ग्राम कुल्हा के मोल्टी नामक स्थान में वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

राजस्व उप निरीक्षक
त्यूनी

तहसीलदार
त्यूनी

वन क्षेत्राधिकारी
देवघाट रज
देवघाट रज (त्यूनी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चकराता वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता देहरादून।

उपजिलाधिकारी
त्यूनी

जिलाधिकारी
देहरादून



कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई- 7.300 किमी०)

प्राक्कलन बाबत कुल्हा सिविल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य (Road Side Plantation)

7.300 km.

रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु भूमि हस्तान्तरण फलस्वरूप ~~8.20 है०~~ के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
प्रथम चरण					
1	घास की सफाई करना तथा सफाई क्षेत्र परिधि से 50 मी० दूर फेंकना	प्रति वर्ग मी०	1100	2.00	2200.00
2	बांस के ट्री-गार्ड बनाना मय बांस की कीमत, ढुलान तथा फिक्स करना	प्रति पौध	730	400.00	292000.00
3	सड़ी-गली गोबर की खाद आपूर्ति करना लोडिंग अनलोडिंग सहित	प्रति गड्ढा	70	21.00	1470.00
4	साधारण मृदा में गड्ढा खुदान तथा मिट्टी में खाद मिलाकर पुनः गड्ढे में भरना या 2:1 मिश्रण में खाद/कीचड़ को प्रवाहित करना, मिश्रण का ड्रेसिंग तथा मृदा व खरपतवार को बाहर फेंकना।	प्रति गड्ढा	730	18.00	13140.00
योग प्रथम चरण					308810.00
द्वितीय चरण					
1	18"x24" साइज बैग में उत्पादित 6 से 7 फीट ऊंचाई की पौध की आपूर्ति (प्रस्तावित दरें मात्र प्राक्कलन हेतु हैं)	प्रति पौध	730	121.00	88330.00
2	पौध रोपण सर ढुलान एवं थावलाबन्दी सहित	प्रति पौध	730	25.00	18250.00
3	रोपण वर्ष में श्रमिकों को रखकर सालभर पौधों का रख-रखाव, निराई-गुड़ाई, खरपतवार उपचार आदि (9 माह)	प्रति पौध	730	156.75	114427.50
4	रोपित पौध में अक्टूबर से मार्च माह में तीन बार सिंचाई करना।	प्रति है०	730	84.00	61320.00
योग द्वितीय चरण					282327.50
कुल योग (प्रथम व द्वितीय चरण)					591137.50
तृतीय चरण प्रथम वर्ष अनुरक्षण					
1	अप्रैल से जून तक 3 माह में चार बार सिंचाई करना	प्रति पौध	730	57.00	41610.00
2	प्रति 10 कि०मी० में पौधों की देख-रेख हेतु सुरक्षा गार्ड प्रति माह 10 रो० कि०मी०	10रो० कि०मी०	1	63360.00	63360.00
3	अक्टूबर से मार्च तक 6 माह में तीन बार सिंचाई करना	प्रति पौध	730	84.00	61320.00
योग तृतीय चरण					166290.00
चतुर्थ चरण द्वितीय वर्ष अनुरक्षण					
1	अप्रैल से जून तक 3 माह में चार बार सिंचाई करना	प्रति पौध	730	57.00	41610.00
2	प्रति 10 कि०मी० में पौधों की देख-रेख हेतु सुरक्षा गार्ड प्रति माह 10 रो० कि०मी०	10रो० कि०मी०	1	63360.00	63360.00
3	अक्टूबर से मार्च तक 6 माह में तीन बार सिंचाई करना	प्रति पौध	730	84.00	61320.00
योग चतुर्थ चरण					166290.00

पंचम चरण तृतीय वर्ष अनुरक्षण					
1	अप्रैल से जुन तक 3 माह में चार बार सिंचाई करना	प्रति पौध	730	57.00	41610.00
2	प्रति 10 कि०मी० में पौधों की देख-रेख हेतु सुरक्षा गार्ड	10रो० किमी०			
	प्रति माह 10 रो० कि०मी०		1	63360.00	63360.00
3	अक्टुबर से मार्च तक 6 माह में तीन बार सिंचाई करना	प्रति पौध	730	84.00	61320.00
योग पंचम चरण					166290.00
सष्ठम् चरण चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण					
1	अप्रैल से जुन तक 3 माह में चार बार सिंचाई करना	प्रति पौध	730	57.00	41610.00
2	प्रति 10 कि०मी० में पौधों की देख-रेख हेतु सुरक्षा गार्ड	10रो० किमी०			
	प्रति माह 10 रो० कि०मी०		1	63360.00	63360.00
3	अक्टुबर से मार्च तक 6 माह में तीन बार सिंचाई करना	प्रति पौध	730	84.00	61320.00
योग सष्ठम् चरण					166290.00
सप्तम् चरण पंचम वर्ष अनुरक्षण					
1	अप्रैल से जुन तक 3 माह में चार बार सिंचाई करना	प्रति पौध	730	57.00	41610.00
2	प्रति 10 कि०मी० में पौधों की देख-रेख हेतु सुरक्षा गार्ड	10रो० किमी०			
	प्रति माह 10 रो० कि०मी०		1	63360.00	63360.00
3	अक्टुबर से मार्च तक 6 माह में तीन बार सिंचाई करना	प्रति पौध	730	84.00	61320.00
योग सप्तम् चरण					166290.00
अष्ठम् चरण सष्ठम् वर्ष अनुरक्षण					
1	अप्रैल से जुन तक 3 माह में चार बार सिंचाई करना	प्रति पौध	730	57.00	41610.00
2	प्रति 10 कि०मी० में पौधों की देख-रेख हेतु सुरक्षा गार्ड	10रो० किमी०			
	प्रति माह 10 रो० कि०मी०		1	63360.00	63360.00
योग अष्ठम् चरण					104970.00
नवम् चरण सप्तम् वर्ष अनुरक्षण					
1	प्रति 10 कि०मी० में पौधों की देख-रेख हेतु सुरक्षा गार्ड	10रो० किमी०			
	प्रति माह 10 रो० कि०मी०		1	63360.00	63360.00
योग नवम् चरण					63360.00
दशम् चरण अष्ठम् वर्ष अनुरक्षण					
1	प्रति 10 कि०मी० में पौधों की देख-रेख हेतु सुरक्षा गार्ड	10रो० किमी०			
	प्रति माह 10 रो० कि०मी०		1	63360.00	63360.00
योग दशम् चरण -					63360.00
महायोग -					1654277.50

7.300 डिग्री ६.200,000 = 14,60,000 = 14,60,000

प्रधानीय वनाधिकारी
चक्राता वन प्रभाग
कालसी (देहरादून)

वन अधिकारी
चक्राता वन प्रभाग (लुगो)

उप-प्रधानीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चक्राता वन प्रभाग

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कालसी (देहरादून)

वन दरोगा 3-9-2014



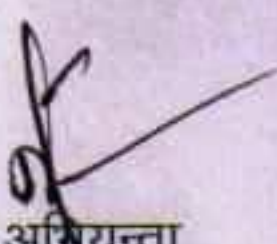
कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम हेतु दुगुनी अर्जित सिविल भूमि का विवरण

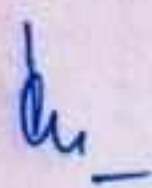
क्र० सं०	जिला	परगना	खत	तहसील	ग्राम	खाता संख्या	भूमि का विवरण		
							खसरा न०	कुल क्षेत्रफल	अर्जित क्षेत्रफल
1	देहरादून	जौनसार बावर	देवधार	त्यूनी	कुल्हा	144	961	12.750 है०	6.300 है०

वृक्षारोपण हेतु दुगुनी अर्जित सिविल वन भूमि 6.300 है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


राजस्व उप निरीक्षक
त्यूनी


तहसीलदार
त्यूनी


उपजिलाधिकारी
त्यूनी


जिलाधिकारी
देहरादून



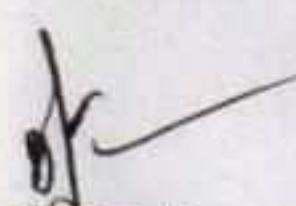
कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

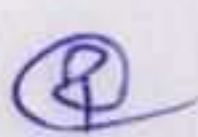
रिक्त पड़े स्थानों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का आगणन प्रमाण पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण में प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशी वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	मार्ग की लम्बाई	दर (लाख में)	प्रति	ईकाई	कुल लागत (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	पथ वृक्षारोपण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के प्रत्रांक संख्या- 3080/20-2 (ब.सं.स.) दिनांक 02.06.2007 द्वारा प्रति किमी० 100 रोपण के मानक के अनुसार आगणित करें	7.300	1.00	प्रति	किमी०	730000/-


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई— 7.300 किमी०)

दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रायोजन हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार प्रयेक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशी वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी से कुल्हा
मोटर मार्ग के विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

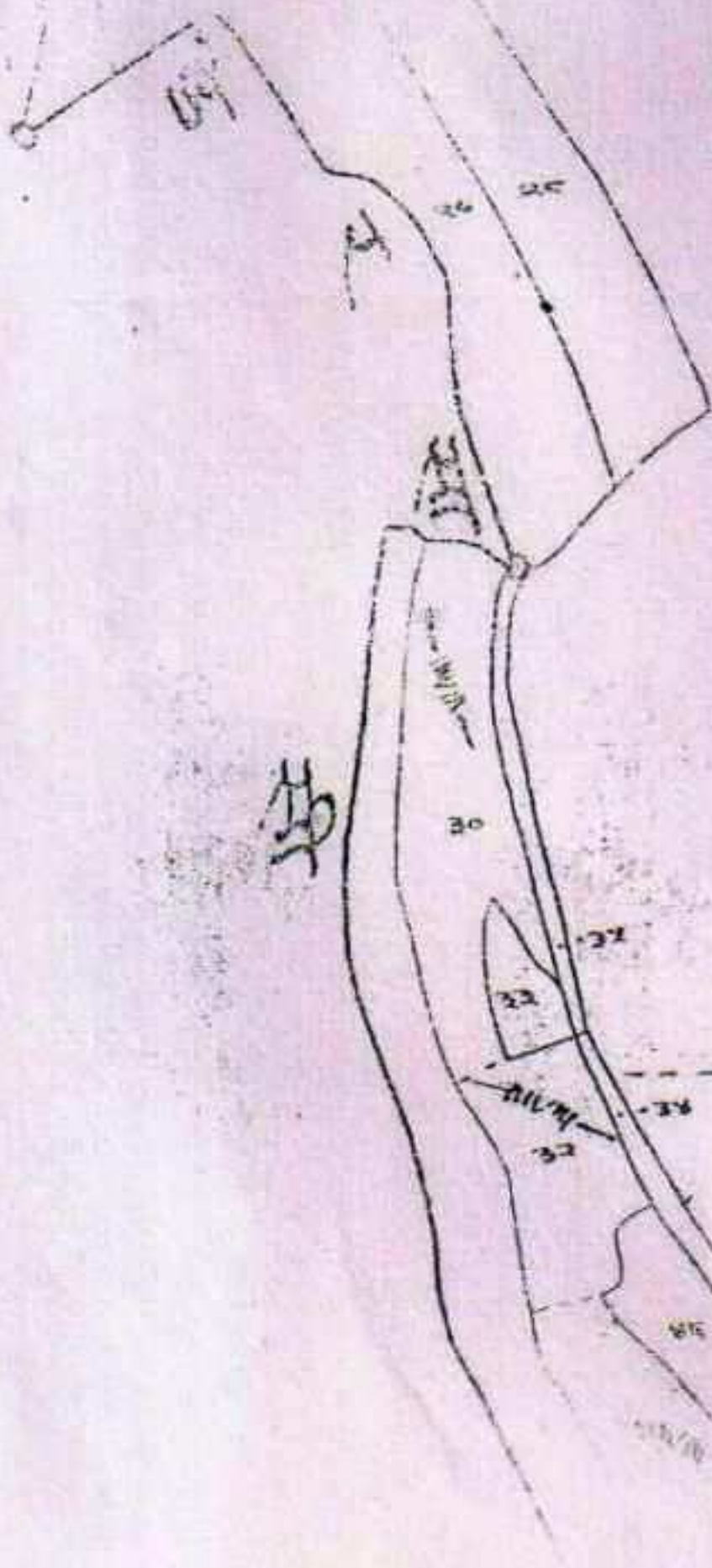
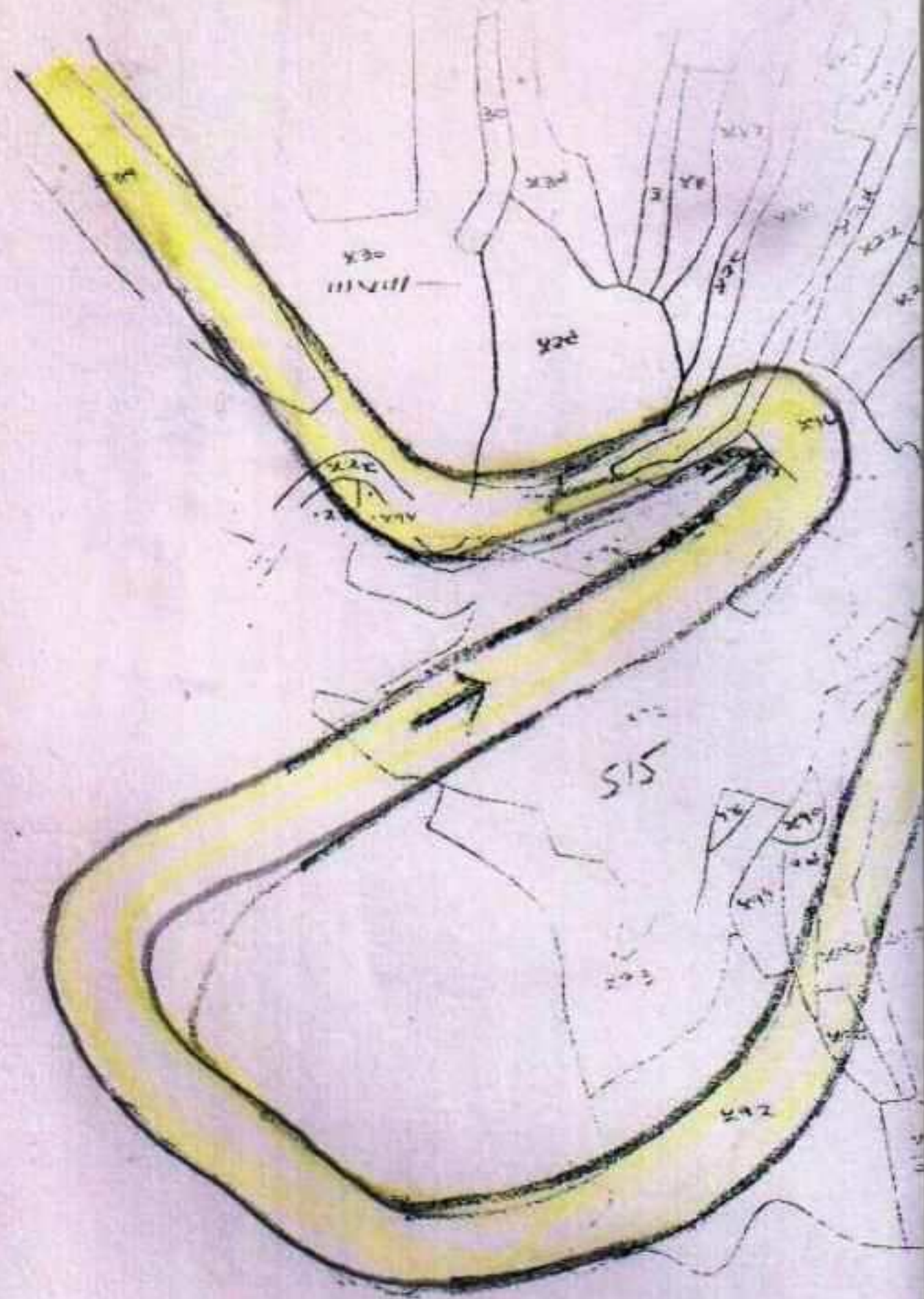
मोटर मार्ग के दोनो रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

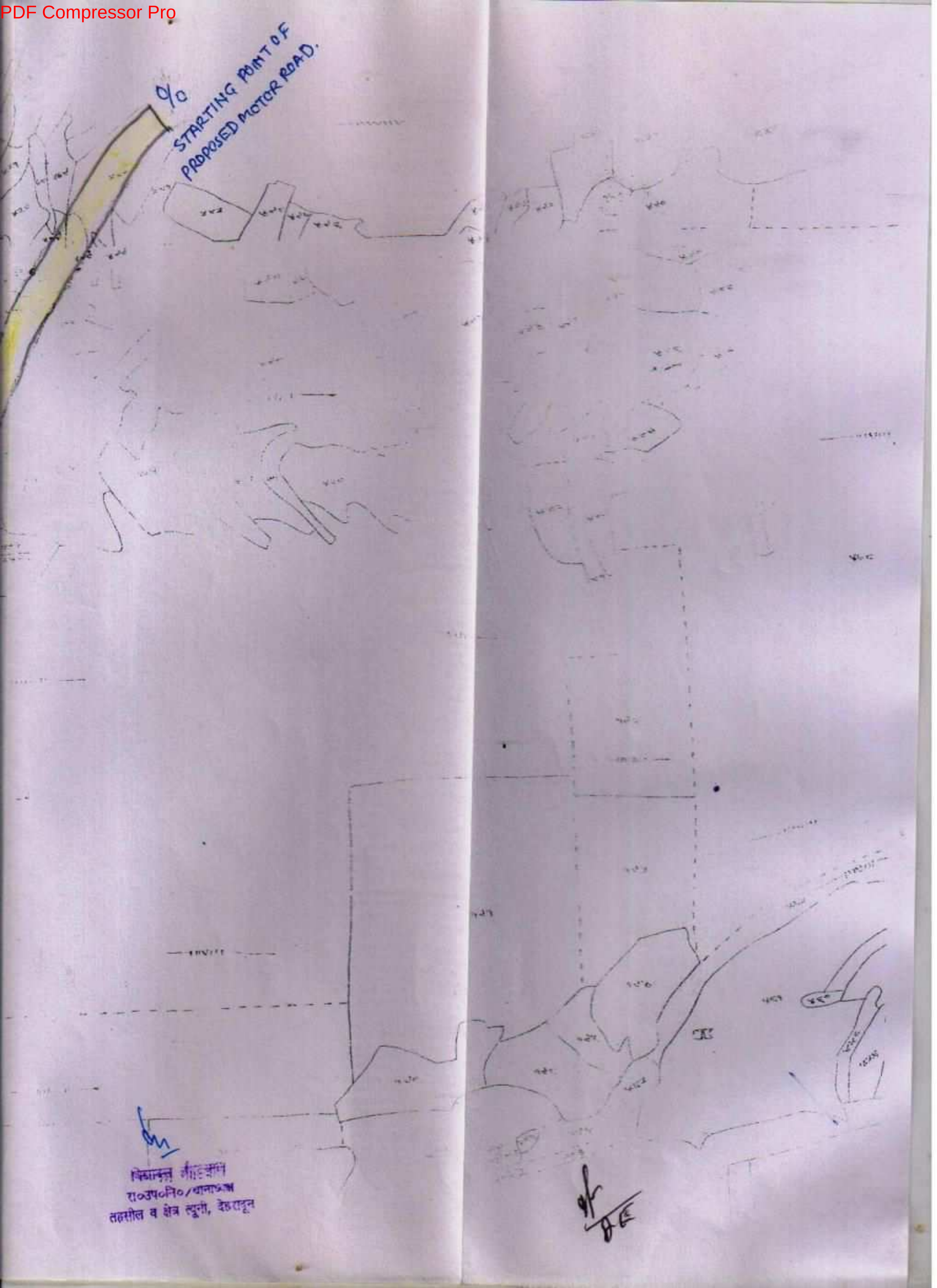


North

anin

There





विभाजन मालिक
रा०उप०नि०/धानाअ
तहसील व क्षेत्र लुनी, देहरादून

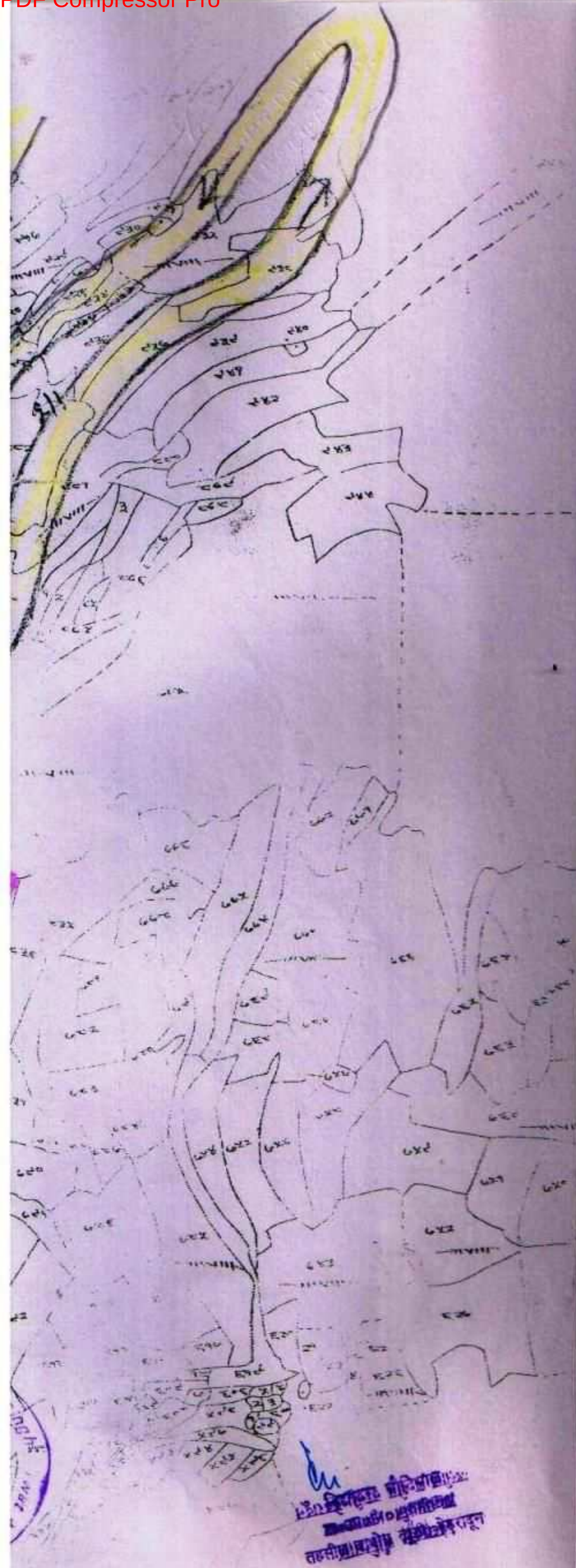
9/8/85



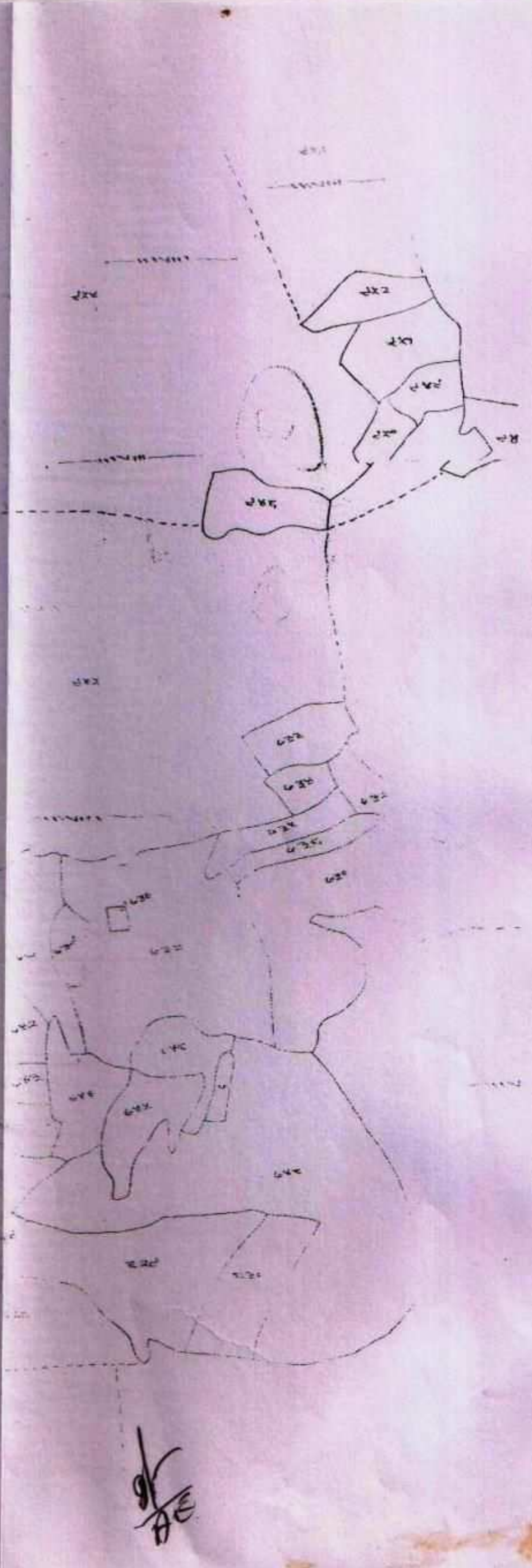
~~কোলা~~
১০৩৩

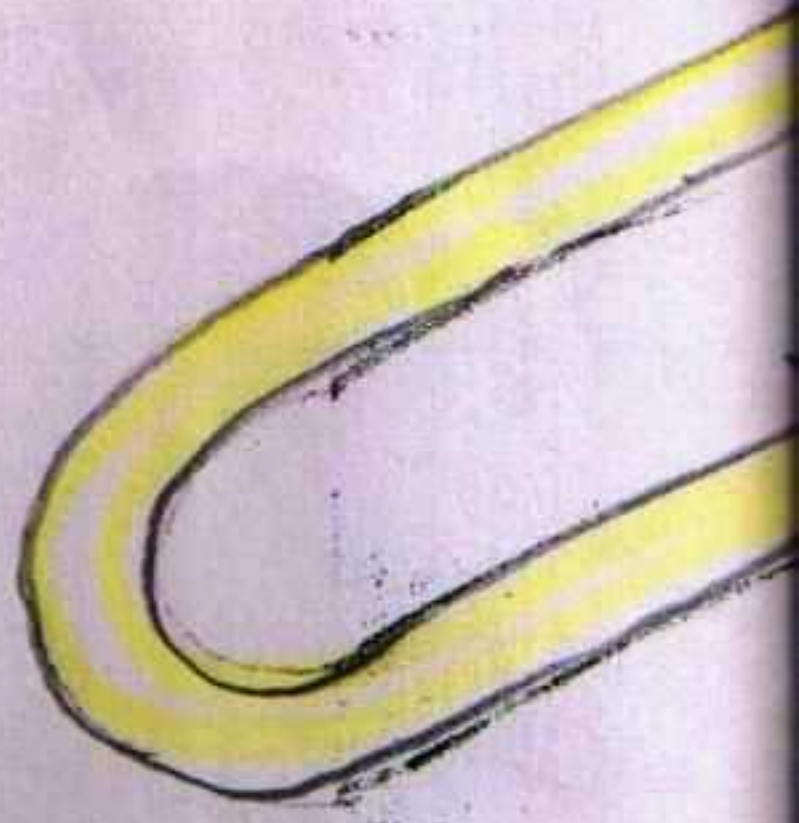
Handwritten signature: *Handwritten signature*





महाराष्ट्र शासन
मुख्यमंत्री
तहसील कार्यालय

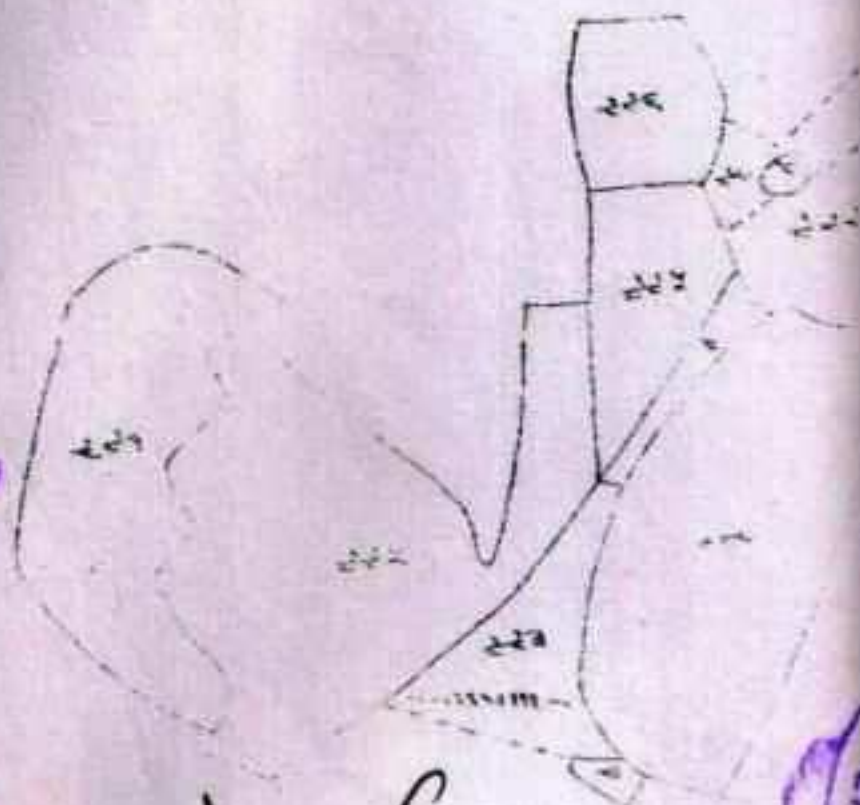




अधिकांश अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोहनिधि
कालसी (देहरादून)

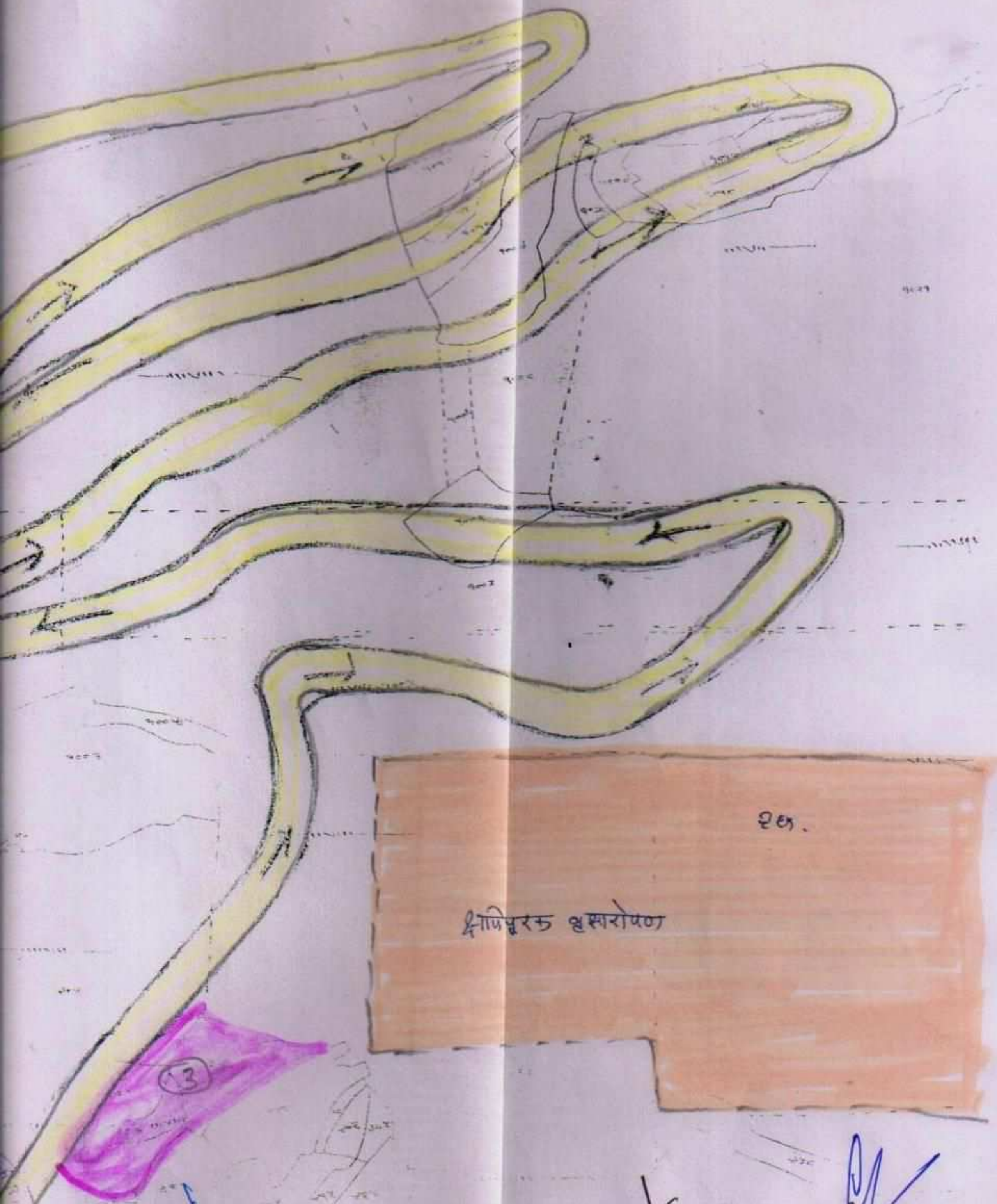
उप प्रमाणीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चक्रवर्ती वन प्रभाग

Copy
Amin



Vinod
AAE

Engineer



विद्यावत नौगोपाली
रा.उप.नि.०/पानाउप.
तहसील व क्षेत्र स्थानी, देहरादून

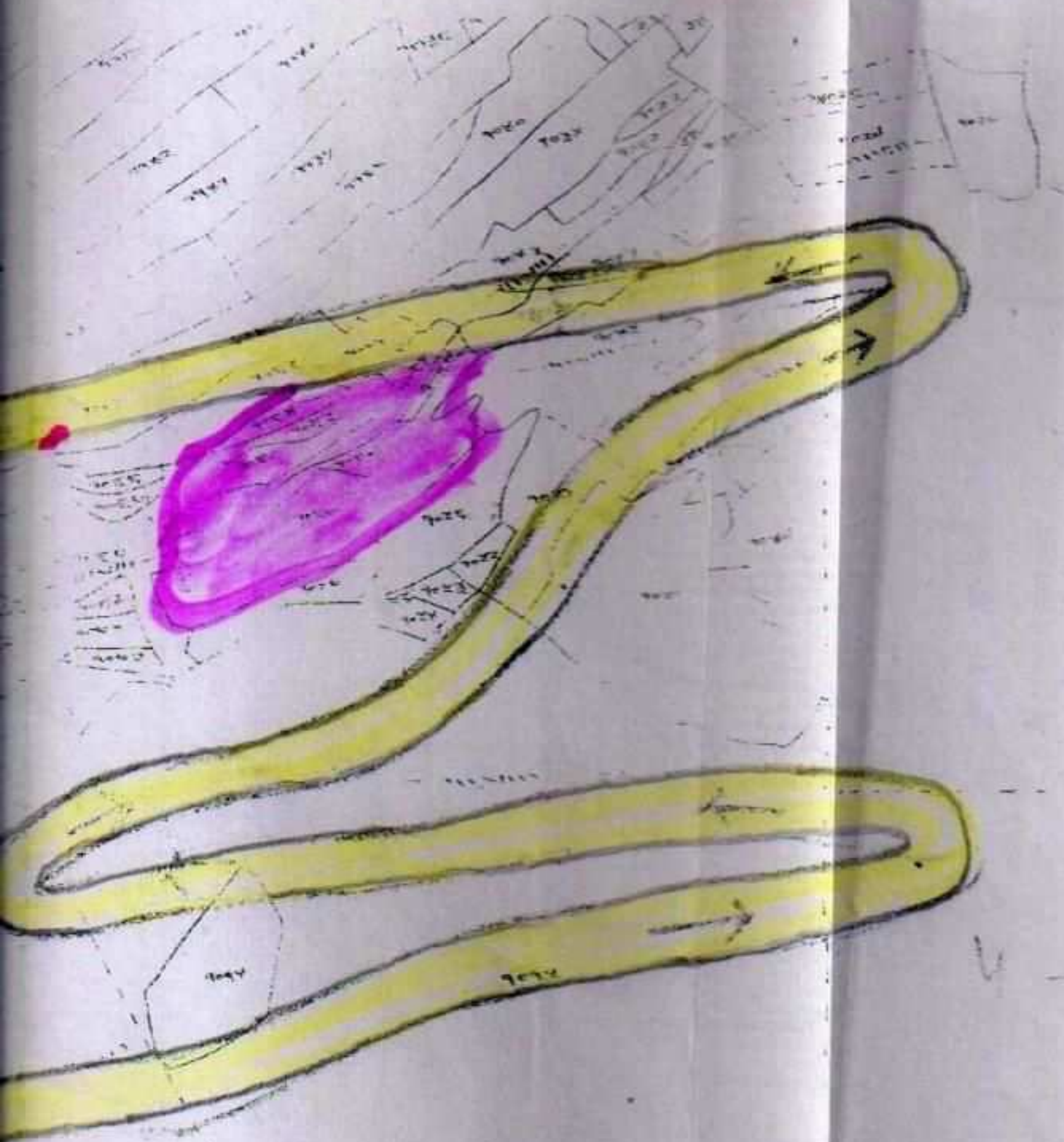
मे/२६

जिलाधिकारी देहरादून



Handwritten signature
AAE

Paul
only



विद्यमान मौलियाल
राउपनि/धानाध
तहसील व क्षेत्र लुनी, देहरादून

Handwritten signature in black ink.

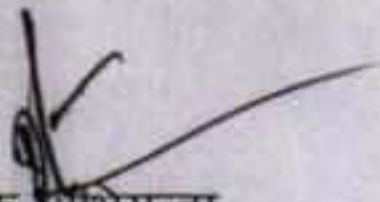
कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

मक डम्पिंग प्लान/प्रमाण-पत्र

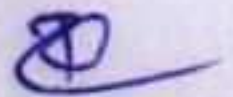
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में तहसील त्यूनी के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग (7.300 किमी०) के विस्तारीकरण से उत्पादित मलवे को उचित प्रक्रियानुसार सुरक्षित स्थान पर डम्पिंग किया जायेगा। मलवा कहीं भी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र एवं जल स्रोतों में नहीं डाला जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



Detail of Muck Disposal Yards With Land Owner Detail

Name of Work:- Construction of Extension for Raigi - Kulha Motar Road Under PMGSY Phase-XII (Stage-I work)

Length Of Motor Road:- 7.300 Km.

S.No	Location of Dumping Yard	Type of Land	Name of Land Owner and Village	Land in Hec.	Land in Sqm.	Land Area (Sqm) being used for Dumping	Longitude	Latitude
Yard -1	0/28 to 0/32	Private	Sri. Chatar Singh & Sri. Motiram Bhagmal Village Kulha	0.1660 0.1340	3000.00	2250.00	77°47'59.55"	30°56'34.54"
Yard -2	1/12 to 1/16	Private	Sri. Haruram Sri. Tegchand Sri. Sobharam Village- Kulha	0.1410 0.1540 0.0400	3350.00	2736.00	77°47'59.09"	30°56'40.77"
Yard -3	3/16 to 3/20	Private	Smt. Jwandeви Sri. Zanu & Sunder village - Kulha	0.2550 0.1810	4360.00	1950.00	77°48'23.69"	30°57'3.05"
Yard -4	7/3 to 7/7	Private	Sri. Abhiram Sri. Lal Singh Sri. Gajju Village- Kulha	0.1110 0.3760 0.0240	5110.00	1800.00	77°48'15.87"	30°57'16.71"
Total:-						8736.00		

उप प्रमाणीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चक्रवर्ती वन प्रभाग

प्रमाणित वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चक्रवर्ती वन प्रभाग (बैठरादून)

J.E. A.A.E.

A.E.

कालसी उप वन प्रभाग
चक्रवर्ती वन प्रभाग
E.E.

Name of Work:- Construction of Extension for Raigi - Kulha Motar Road Under PMGSY Phase-XII (Stage-I work)

Length of Motor Road:- 7.300

Swell factor				
1	Material Received from hill side Cutting.	1/2x(7300x4.00x3.00)	43800.00	Cum.
2	25% for swell factor	42000x25%	10950.00	Cum.
3	Total Dabries		54750.00	Cum.

Disposal and Use of Material							
S.No	Item of work	Stone for (R.R. 1:5, R.C.R. 1:4 and R.C.R. 1:3	Stone for dry stone Masonary	Stone for Wire Crate	Stone for H.P. Filling	Material used in G.S.B	Total
1	R/ Wall	600.00	2500.00		1900.00		5000.00
2	B/ Wall	1300.00					1300.00
3	Collie walling		500.00				500.00
4	Wire crate			1500.00			1500.00
5	Parapet	300.00					300.00
6	Scupper	100.00	1500.00		600.00		2200.00
7	Pavement work					3614.00	3614.00
8	Km, Edge Stone etc	126	120.00	400.00			646.00
9	Culvert	600.00		200.00	300.00		1100.00
Total							16160.00

38590.00

balance Dabries=54750-16160=38590.00 Cum

Location and Quantity of Dabries Disposal

S. No.	Location of Dumping Yard	Type of Land	size of Dumping Yard	capacity of Dumping Yard (Cum.)	
1	0/20 to 0/24	Private land	70x30x4	8400.00	
2	2/14 to 2/18	Private land	80x38x5.0	15200.00	
3	3/2 to 3/6	Private land	75x26x4	7800.00	
4	4/28 to 4/32	Private land	60x30x4.5	8100.00	
Total:-				39500.00	

Summary of Dabries Disposal

S.No.	Total Dabries	Material disposal by cartage	Reused material for road Construction	Total disposal in Dumping Zone	Balance Dabries
1	54750.00	34590.00	16160.00	38550.00	0.00

उप प्रभागीय वन
कालसी उप वन प्रभाग
चक्रवर्ती वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
चक्रवर्ती वन प्रभाग
कालसी (देहरादून)

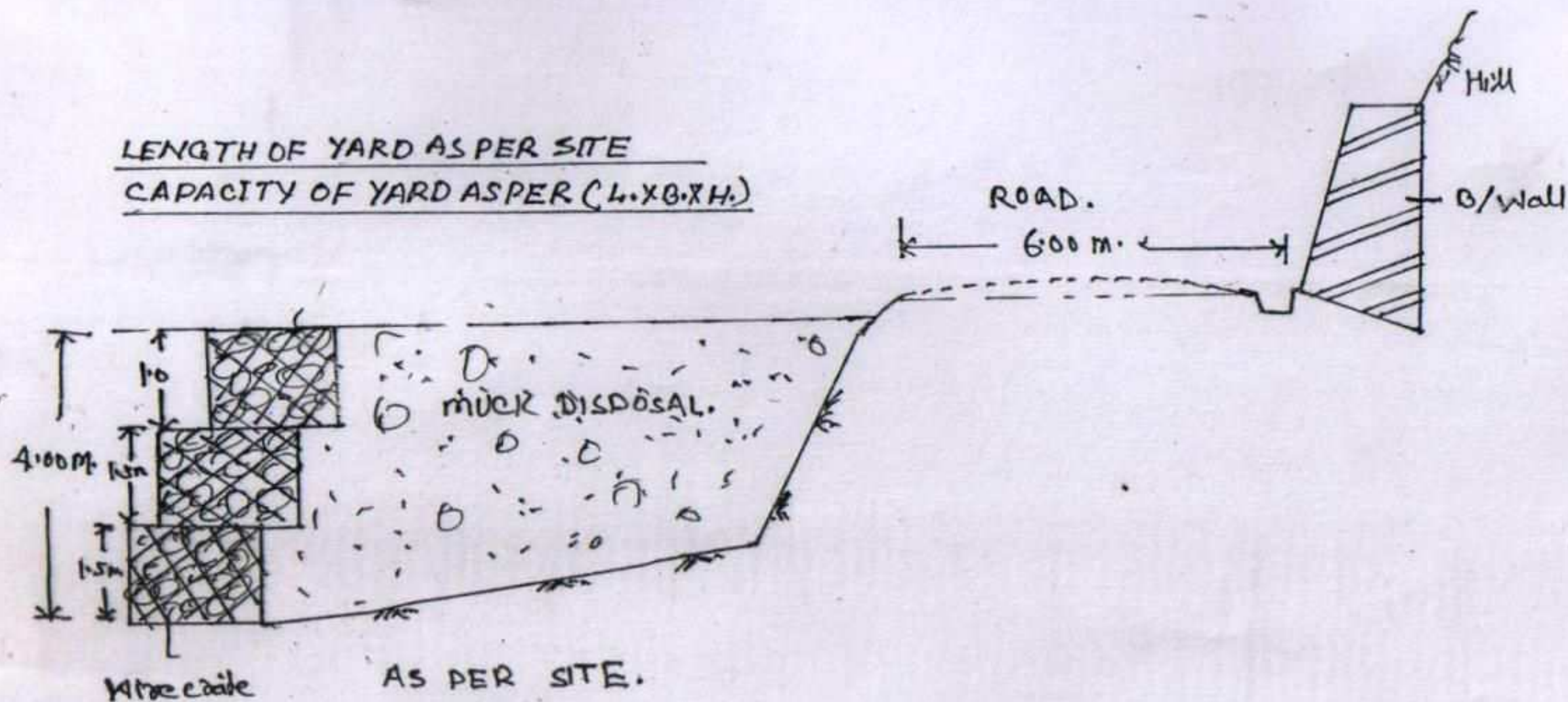
J.E.

A.E.

अविशाली अ.ए.
निर्माण खण्ड, लोडनि.
कालसी (देहरादून)

NAME OF WORK!—

LENGTH OF YARD AS PER SITE
CAPACITY OF YARD AS PER (L.XB.XH.)



TYPICAL SECTION OF MUCK DISPOSAL YARD.

[Signature]
 11/11/21

[Signature]
 11/11/21

अधिकासी अभियन्ता
 निर्माण खाण्ड लो० नि० वि०
 इन्दौर (म०-कालसी)

S.No	Photograph	Description
1		Dumping Yard No.1
2		Dumping Yard No.2
3		Dumping Yard No.3

[Signature]
RAE

[Signature]
7/5

S.No	Photograph	Description
4		Dumping Yard No.4

Whom
A.A.E.

2/2/20

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रायोजन हेतु 3.150 है० सिविल भूमि सर्किल दर के अनुसार मूल्य रु० 440000.00 प्रति है० की दर से कुल मूल्य रु० 1386000.00 होता है तथा वार्षिक लीज रेन्ट शून्य रु० होता है।



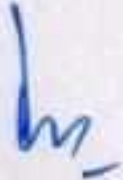
कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



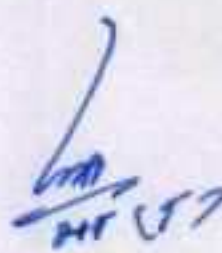
सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



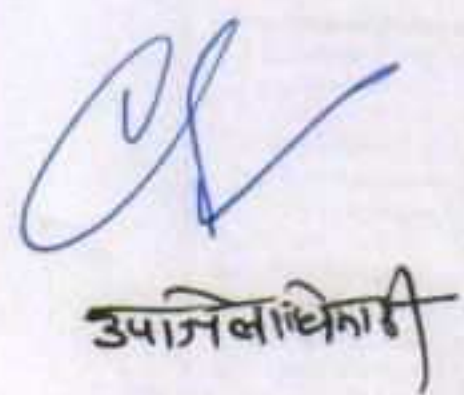
राजस्व उप निरीक्षक



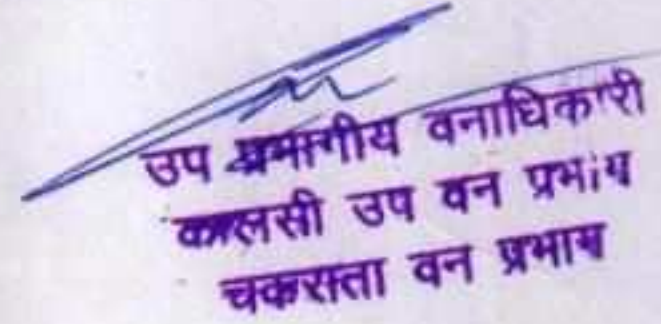
तहसीलदार
तहसीलदार
त्युनी



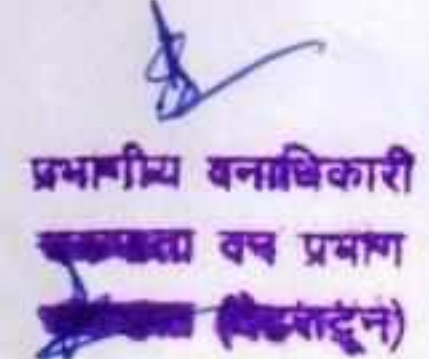
क. न. सिंघ
विपार राशि (लुब्ध)



उपाजिलाधिकारी



उप प्रभारी वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चक्रसता वन प्रभाग



प्रभारी वनाधिकारी
चक्रसता वन प्रभाग
(देहरादून)



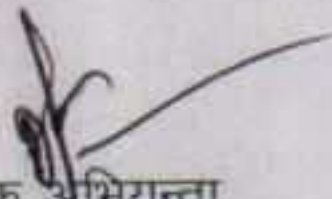
कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

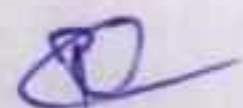
प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



प्रपत्र-42

परियोजना का नाम:-

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी.....V.....
2. हरियाली का घनत्व.....0.2-0.5
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0.....8.45000
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....3.150
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि.....26,61,750/-

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
जकराता वन प्रभाग

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
जकराता (देहरादून)

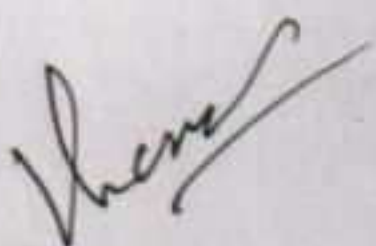
नोट :-उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

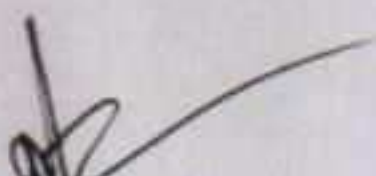
एन०पी०वी० की धनराशि जमा कराने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार)

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र 3.150 है० माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्त अनुसार उक्त वन क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.2 प्रतिशत है जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति है० दर रु० 8.45 लाख मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि का आगणन रु० 26.6175 किया गया है तथा वार्षिक लीज रेंट 00.00 प्रतिशत की दर से 00.00 रु० होता है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



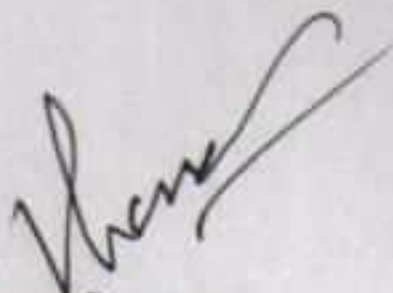
कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई— 7.300 किमी०)

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर०सी०सी० पिलरों का निर्माण

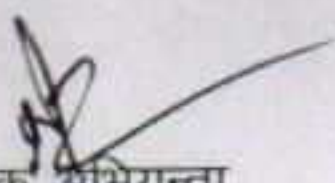
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में तहसील त्यूनी के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग (7.300 किमी०) के विस्तारीकरण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के दोनों तरफ सीमांकन पिल्लर/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

सीमांकन प्राकलन

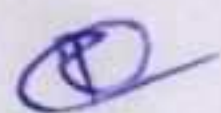
क्र०सं०	कार्य मद विवरण	लम्बाई (कि०मी०) में	दर प्रति (कि०मी०) में	घनराशि रुपये में
1	वन भूमि के दोनों ओर .60x.60x.60 के 1:2:4 सीमेंट प्लास्टर व दो कोड सफेदी के सीमांकन पिल्लर का निर्माण कार्य	7.300	11640.00	84972.00
Total				84972.00



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



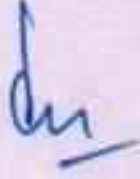

वन क्षेत्राधिकारी
देहरादून
देहरादून राशि (त्यूनी)

प्रपत्र-34

परियोजना का नाम:-

वन भूमि के मूल्य / वार्षिक लीज रेंट का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत प्रयोजन हेतु वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये.....प्रति हे० है तथा उक्त प्रयोजन हेतु.....हे० वन भूमि का कुल मूल्य रुपये.....होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेंटप्रतिशत की दर से रुपये.....होता है।



विद्यादत्त नौटियाल
रा०उप०नि०/धानाध्यक्ष
नगरपालिका क्षेत्र, देहरादून

ह०/-
जिलाधिकारी

नोट :-उक्त प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई— 7.300 किमी०)

लीज अवधि का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि लीज पर
नहीं ली जा रही है।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

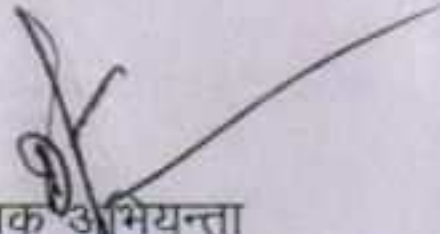


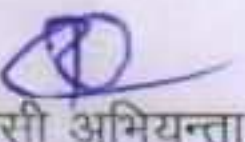
कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान

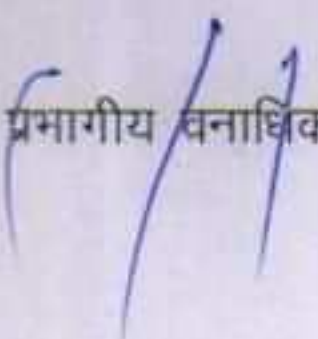
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के दायरे में किसी भी प्रकार के जल विद्युत परियोजना नहीं है, और न ही प्रस्तावित है इसलिए कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून


अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

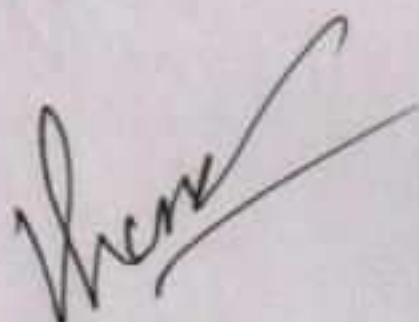

वन क्षेत्राधिकारी


प्रभागीय वनाधिकारी

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनार्थ

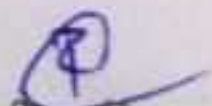
जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग विस्तारीकरण हेतु आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में परियोजना से सम्बन्धित कोई अन्य ऐसी सूचना नहीं है, जिसे कि प्रस्ताव में सम्मिलित न की गई हो।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



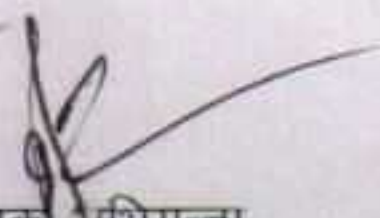
कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग (7.300 कि०मी०) का विस्तारीकरण किया जाना प्रस्तावित है।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा
मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई- 7.300 किमी०)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज तैयार कर
प्रस्ताव में चस्पा है।

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

उप प्रमाणीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
चक्राता वन प्रभाग

प्रमाणीय वनाधिकारी
कालसी उप वन प्रभाग
प्रमाणीय वनाधिकारी (देहरादून)
चक्राता वन प्रभाग



अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी-कुल्हा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भी भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है। उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को सहमत हूँ।

भवदीय मैती सिंह
नाम:- चन्तर सिंह / मैतीराम
ग्राम:- कुल्हा

कास सेक्सन ०/२४ to ०/३२ पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री चन्तर सिंह पुत्र श्री टोट्ट ग्राम कुल्हा
पटवारी वृत्त त्यनी तहसील त्यनी
जनपद देहरादून के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०स०	खाता संख्या/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
<u>०/२४ to ०/३२</u>	<u>१५ - / ०३८</u>	<u>०.१३८०</u>
<u>— " —</u>	<u>१५ - / ०३९</u>	<u>०.०२८०</u>
	योग	<u>०.१६६०</u>

सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षे० राजस्व उपनिरीक्षक त्यनी
तहसील त्यनी
जनपद देहरादून

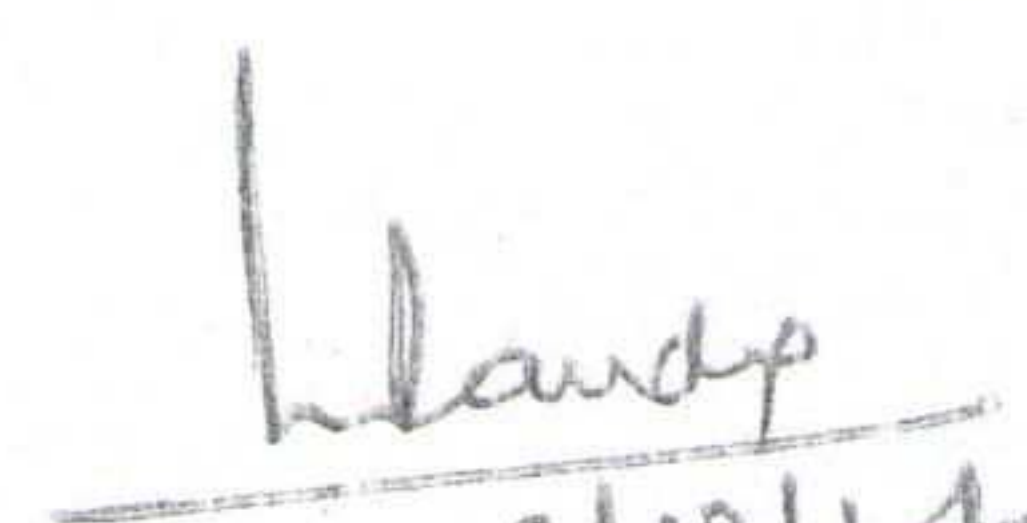
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, वृत्त
लो०नि०वि०, मसूरी।

पत्रांक— 3943 / पी०एम०जी०एस०वाई० / 14 - ~~माला~~ - Pm434 / 2014

दिनांक 12 / 12 / 2014

कार्यालय ज्ञाप

जिला देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चकराता में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत बनाये जा रहे वन भूमि प्रकरणों को आन लाईन करने के लिए अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, हरिद्वार (मु० कालसी) श्री राजेश कुमार को अधीकृत किया जा रहा है।


12/12/14
(सी०एम० पाण्डेय)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1—नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2—प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3—अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, हरिद्वार (मु० कालसी)।

अधीक्षण अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, वृत्त
लो०नि०वि०, मसूरी।



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431 E-Mail-cepwdua@rediffmail.com

पत्रांक 622/148व्यक-सा0 / 13

दिनांक 15/05/2013

कार्यालय ज्ञाप

लोक सेवा आयोग द्वारा विभाग में अभी तक सहायक भू-वैज्ञानिक उपलब्ध नहीं हुये हैं। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में विभागीय कार्यों के अन्तर्गत पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में कार्यों के लिए प्रस्तावित मार्ग संरेखणों, भवन एवं सेतु के प्रस्तावित निर्माण स्थलों के भू-गर्भीय दृष्टि से अध्ययन मूल्यांकन एवं सुझावों हेतु इंजीनियरिंग जियोलॉजी से सम्बन्धित उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग देहरादून में पैनल हेतु प्राप्त आवेदकों के आवेदन पत्रों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न भू-वैज्ञानिकों को पैनल में सम्मिलित करने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

1. श्री धनसिंह रावत
2. श्री दिवाकर दत्त नैथानी
3. श्री हरीश कैन्थोला
4. श्री भुवन जोशी
5. श्री जे0पी0 मधवाल

(ललित मोहन)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मुख्यालय/नियोजन), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून।
- 3- मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ/गढ़वाल/रा0मा0/ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/पौड़ी/देहरादून।
- 4- समस्त अधीक्षण अभियन्ता.....वॉ वृत्त, लो0नि0वि0.....।
- 5- समस्त अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड।
- 6- श्री विजय डगवाल/श्री हर्ष कुमार वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून।
- 7- श्री J.P. MADHVAL, Shakti KJ (as - 1) Nathankar Dehradun
- 8- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, (प्रथम/द्वितीय), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून।
- 9- प्रशासनिक अधिकारी, नियोजन I/II/III कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून।
- 10- सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग।
- 11- गार्ड फ़ावली।

(ललित मोहन)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

15/5

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांक

दिनांक

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 11.12.2014 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी-कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण के निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु 3.150 हैक्ट0 भूमि वन विभाग से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति-त्यूनी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यो द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी- त्यूनी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 3.150 हैक्ट0 भूमि जो कि वन विभाग के देवधार रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी- त्यूनी की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

(रामअवतार सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

(दिवाकर सिन्हा)
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
देहरादून

(चन्द्रेश कुमार)
जिलाधिकारी, देहरादून

पृ0स0 / डी0एल0आर0सी0 / दिनांक

प्रतिलिपि:—

- 1 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, हरिद्वार (मुख्यालय-कालसी)

(चन्द्रेश कुमार)
जिलाधिकारी, देहरादून

FORM-I

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No.....

Dated.....11.12.14

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that 3.150 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **P.W.D Uttarakhand** for New **Road Construction in Dehradun** district falls within jurisdiction of **Kulha** Village in **Tiyuni** tehsils.

It is further certificated that:

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 3.150 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure1.... to3.. annexure.....
- (b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature
(full name and official seal of the District Collector)

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT – DEHRADUN (UTTARAKHAND)**

Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Dehradun District – Dehradun constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Chandresh Kumar, I.A.S. District Magistrate on Dated~~11.12.14~~ at 11 AM at Dehradun in which the application claiming rights in Mail area measuring **3.150 Hect** for the Construction of **Extension of Raigi – Kulha Motor Road** under PMGSY of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of Tiyni were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: ~~11.12.14~~ Dehradun

Dated: 11.12.14


District Magistrate
District level Committee

तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी हैं अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड..... परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी-कुल्हा मोटर मार्ग के विस्तारीकरण का नवनिर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 3.150 है० वन भूमि (सिविल सोयम भूमि) ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- त्यूनी,
जनपद-देहरादून

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



सहायक समाज कल्याण अधिकारी
चकराता

उप प्रभाषीय जिलाधिकारी
त्यूनी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- त्यूनी,
जनपद-देहरादून

परियोजना का नाम :-जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।(लम्बाई-7.300 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -कुल्हा
तहसील-त्यूनी, जिला-देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग के विस्तारीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि शून्य हे० सिविल सोयम भूमि. 3.150 हे०, वन पंचायत भूमि शून्य हे०) अर्थात् कुल 3.150 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुल्हा द्वारा दिनांक.-15.04.2013 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुल्हा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड लो०नि०वि० हरिद्वार(मुख्यालय-कालसी) प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव



ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.1

दिनांक -15.04.2013 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत -कुल्हा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुपाराम	सुपाराम
2	विजयराम	विजयराम
3	आलाराम	आलाराम
4	नागचन्द	नागचन्द
5	लाथकराम	लाथकराम
6	सुन्दर लाल	सुन्दर लाल
7	मंगलराम	मंगलराम
8	कुंवर सिंह	कुंवर सिंह
9	आशाराम	आशाराम
10	अभिराम	अभिराम
11	पालिराम	पालिराम
12	फतेह चन्द	फतेह चन्द
13	भोपाराम	भोपाराम
14	रवि दत्त	रवि दत्त
15	भोताराम	भोताराम
16	द्वाराम	द्वाराम
17	राम लाल	राम लाल
18	सुन्दराम	सुन्दराम
19	सन्तोष	सन्तोष
20	केशरी चन्द	केशरी चन्द



ग्राम प्रधान

वैकल्पिक समरेखणों के निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रस्तावित परियोजना हेतु दो समरेखणों पर विचार किया गया। समरेखण - 1 एवं समरेखण-2 निम्नलिखित तुलनात्मक विवरण के उपरान्त समरेखण-1 को तकनीकी, पर्यावरणीय, भूगर्भिय एवं मितव्ययी दृष्टि से उपयुक्त पाया गया। जिस कारण समरेखण-2 को निरस्त कर दिया गया एवं समरेखण-1 को स्वीकार किया गया। जिनका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है-

क्र० स०	विवरण	समरेखण-1	समरेखण-2
1	तकनीकी दृष्टिकोण से	इस समरेखण में मोटर मार्ग की लम्बाई 7.300 कि०मी० आती है, 10 एच०पी० बेंण्ड आते हैं।	इस समरेखण में मोटर मार्ग की लम्बाई 7.775 कि०मी० आती है, 12 एच०पी० बेंण्ड आते हैं तथा 6 गी० स्पाय का एक कलवर्ट भी आता है। एच०पी० बेंण्ड अधिक होने के कारण यह मोटर मार्ग तकनीकी रूप से उचित नहीं है।
2	भूगर्भिय आख्या के अनुसार	इस समरेखण को भू-वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण करने पर उपयुक्त पाया गया। भू-वैज्ञानिक दृष्टि से मार्ग ज्यादातर कठोर चट्टान से होकर गुजरता है। जिससे मलवा मोटर मार्ग निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है। जिस कारण मलवा वनभूमि में नहीं गिरेगा एवं भविष्य में स्लिप जोन बनने की सम्भावना भी कम होगी।	इस समरेखण में भू-वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण करने पर 2-3 स्थानों पर भू-धसाव होने की आशंका व्यक्त की गई जिस कारण यह समरेखण उपयुक्त नहीं पाया गया।
3	वन एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से	इस समरेखण में न्यूनतम कुल 5.670 है० भूमि परियोजना निर्माण के लिए आवश्यक है। जिसमें वन भूमि मात्र 0.00 है० सिविल सोयम भूमि 3.150 है० एवं नाप भूमि 2.520 है० प्रभावित हो रही हैं एवं विभिन्न प्राजाति 10 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।	इस समरेखण में न्यूनतम कुल 6.058 है० भूमि परियोजना निर्माण के लिए आवश्यक है। जिसमें वन भूमि मात्र 0.0 है० सिविल सोयम भूमि 3.290 है०, 2.768 है० नाप भूमि प्रभावित हो रही हैं एवं विभिन्न प्राजाति अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जो कि अधिक होने के कारण पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
4	सामाजिक दृष्टिकोण	इस समरेखण में मोटर मार्ग की लम्बाई 7.300 कि०मी० होने के कारण समरेखण-2 की अपेक्षाकृत कम है। जिससे स्थानीय निवासियों के रागय भी बचत होगी तथा वह अपने उपचार हेतु एवं कृषि उपज को कम समय व धन में शहर तक ले जा सकेंगे। इस समरेखण से समस्त ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। (सहमति पत्र संलग्न)	इस समरेखण में मोटर मार्ग की लम्बाई 7.775 कि०मी० होने के कारण समरेखण-1 की अपेक्षाकृत अधिक है। जिससे स्थानीय निवासियों को अपने उपचार हेतु एवं कृषि उपज को शहर तक ले जाने में अधिक समय व धन व्यय होगा। इस समरेखण से समस्त ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।
5	मितव्ययी दृष्टिकोण	इस समरेखण में मोटर मार्ग की लम्बाई 7.300 कि०मी० आती है, एवं लागत 540.84 लाख आती है। जो कि समरेखण द्वितीय की अपेक्षा कम है।	इस समरेखण में मोटर मार्ग की लम्बाई 7.775 कि०मी० आती है, एवं लागत 578.60 लाख आती है। जो कि समरेखण प्रथम की अपेक्षा अधिक है।

अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी)

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी)

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०, हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी)

प्रमाणित प्रमाणिकारी
कालसी का प्रमाण
कामची

प्रमाणित प्रमाणिकारी
कालसी का प्रमाण
कामची

Justification for Forest Land of Raigi -kulha Missing link motor road

इस मोटर मार्ग निर्माण होने से स्थाई/अस्थायी रोजगार उत्पन्न होगा। ग्रामीण अपने जरूरत का सामान आदि लेने नजदीकी बाजार में आ सकेंगे। इस मोटर मार्ग से 950 जनसंख्या संयोजित हो रही है। ग्रामीण खेतों में पैदा होने वाली कृषि की फसल को किसी भी नजदीकी बाजार में ले जाकर बेच सकेंगे एवं इससे देश Productivity में भी बढ़ोत्तरी होगी। जिससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। इस मार्ग के निर्माण से उत्तराखण्ड के इस भाग में भी टूरिज्म के अवसर पैदा होंगे, जिससे सरकार की आमदनी होगा। इस गाँव में यातायात की सुविधा न होने के कारण एवं सड़क न होने के कारण बच्चे खेती बाड़ी के कामों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन मोटर मार्ग बनने से बच्चे स्कूल में पढ़ सकेंगे तथा देश के निर्माण में भागेदारी निश्चित कर सकेंगे। जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ोत्तरी होगी। इस मोटर मार्ग के बनने से ग्रामीणों को Medical Facility आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। इसके अलावा घर पर काम करने वाली ग्रहणी भी अपने घर के लिए सामान आदि आसानी से उपलब्ध कराने में सक्षम होगी।

इसके मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग अक्सर आग लगने पर कम समय में आग पर काबू पा सकेंगे एवं यह मार्ग एक फायर लाईन का काम भी करेगी। मोटर मार्ग के निर्माण से फॉरेस्ट अपनी वन सम्पदा की देख-रेख भी आसानी से कर सकेगा। यह एक मात्र समरेखण कम लम्बाई का है जिससे ग्राम KULHA, BAGIYA 950 जनसंख्या को जोड़ा जा सकेगा एवं इस मोटर मार्ग से पिछड़े गाँव के लोगों को देश की main Stream लाया जा सकेगा। अतः इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अत्यन्त आवश्यकता है जिसके लिए वनभूमि हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चक्रवर्ती बल प्रभाष
कालसी

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हरिद्वार(मु0-कालसी)

व्यवस्थापक वनाधिकारी
चक्रवर्ती बल प्रभाष
F.O.
कालसी

COMPARATIVE OF ALIGNMENT

Name of work: Comparative Statement of Alignment for extension Raigi - Kulha Motor Road

Length: 7.300 Kms

Scheme: Under P.M.G.S.Y

Sl. NO.	Items	Alignment 1 (ok)	Alignment 2
8	A Existing means of inter communication (Mule Path, Jeep Track etc.)	Footpath	Footpath
	B Relation of Proposed Alignment with existing and under construction road	Existing raigi- Kulha Motor Road	Existing raigi- Kulha Motor Road
	A Availability of Road construction Materials	Stone are locally available	Stone are locally available
9	B Location of Quarries	Tons River	Tons River
	C Average leads	30.00 Km	30.00 Km
	Facilities & Resources		
10	A Landing ground	Nil	Nil
	B Dropping Zone	Nil	Nil
	C Food stuffs	Nil	Nil
	D Labour locally available or need of import	30% Locally available	30% Locally available
	E Construction materials		
	F Timber, Bamboo, Sand, Shingle, Grit etc. extent of their availability & lead involved	Locally timber like Chir wood, stone are locally and sand are available quarry and other material are available Vikasnagar	Locally timber like Chir wood, stone are available locally and sand are available quarry and other material are available Vikasnagar

COMPARATIVE OF ALIGNMENT

Name of work: Comparative Statement of Alignment for extension Raigi – Kulha Motor Road
Length: 7.300 Kms
Scheme: Under P.M.G.S.Y

Sl. NO.	Items	Alignment 1 (ok)	Alignment 2
Details of Route, vis-à-vis topography of the area			
1	Main feature and description of the alignment	The road start from Existing Raigi – Kulha Motor road at end point Km. 8.600	The road start from Existing Raigi – Kulha Motor road at end point Km. 8.600
2	Length of the alignment from starting point to terminal point.	7.300 Km.	7.775 Km.
3	Geometric		
A	Gradient in different stretches of the alignment	1	1:17, 1:20, 1:24, 1:30, 1:40, 1:60 R
		2	All H.P. Band provided 1:40 R grade
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
B	Curves and Hair Pin Bends	10 No.	12No
4	Terrain and Soil Condition :-		
1	Geology of the road	E&B. to HS/ VHS	E & B .to HS/VHS.
Road Length Passing Through			
1	Cultivated land & Barren land	2.520 Hect.	2.768 Hect.
2	Mountainous terrain cross slope from 25 ^o to 60 ^o	7.300 Km.	7.775 Km.
3	Steep terrain cross slope greater than 60 ^o	Nil	Nil
4	Rocky stretches with indication in length in loose	Nil	Nil

COMPARATIVE OF ALIGNMENT

Name of work: Comparative Statement of Alignment for extension Raigj - Kulha Motor Road
 Length: 7.300 Kms
 Scheme: Under P.M.G.S.Y

Sl. NO.	Items	Alignment 1 (ok)	Alignment 2
5	3 Area subject to avalanches and snow drifts	Nil	Nil
	Nature of Soil		
	1 Length of reaches with Earth & Boulders	3.250 Km	3.200 Km
	2 Length of reaches with Medium Rock/Shale	Nil	Nil
	3 Length of reaches with Hard Rock/Shale	2.100 Km	2.400 Km.
6	4 Length of reaches with VHR/VHS	1.950 Km	2.175 Km
	Bridge Requirements		
	A Major Bridges		
	1 Total Number	Nil	Nil
	2 Range of Span	Nil	Nil
	3 Total Water Way	Nil	Nil
	B Minor Bridges		
	1 Total Number	Nil	Nil
	2 Culvert	Nil	Nil
	3 Cause way	Nil	2 Nos
7	General elevation of the road including maximum and minimum heights negotiated by main ascents and descents		
	1 Total number of ascents and descents	01 No Ascents,	01 No Ascents,
	2 Heights of Cliffs & Gorges	.	.

COMPARATIVE OF ALIGNMENT

Name of work: Comparative Statement of Alignment for extension Paigi - Kailha Motor Road

Length: 7.300 Kms

Scheme: Under P.M.G.S.Y

Sl. NO.	Items	Alignment 1 (ok)		Alignment 2	
21	Important Village Town, marketing center connect				
	Name of Village	Code No	Population	Code No	Population
	Kailha	452400	629	452400	629
	direct		321		321
	Indirect		Total 950		950
22	Strategic Condition	Nil		Nil	
23	Economic & Industrial Consideration				
24	Population served by Alignment	About	Aggrav	About	Aggrav
25	Recreational potential & Potential for Development	Nil		Nil	
26	Scope for Agricultural and Horticulture Development	Fruit & Vegetable belt can be developed		Fruit & Vegetable belt can be developed	
27	Extent of Forest wealth	Nil		Nil	
28	Possibility of Development of mines or any other major development projects being taken up (e.g. Hydro Electric Project)	Nil		Nil	
29	Approximate cost of Construction of each Alignment				
30	Merits & Demerits				
	Merits & Demerits	1 Cost of construction is minimum		Cost of construction is minimum	
		2 No any Causeway required in this alignment		2 No 20.00 m. Causeway required in this alignment	
		3 Loose rocky portion is less in this alignment		Loose rocky portion is less in this alignment	
		4 More village will be connected in this alignment		More village will be connected in this alignment	
		5 Less reserve forest land exist in this alignment		More reserve forest land exist in this alignment	
		6 Area of cultivated sun land in this alignment		Area of cultivated land in this alignment	
		7 Sum H.P. band No-10 in this alignment		Sum H.P. band No-12 in this alignment	
		8 length 7.300 Km maximum public is satisfied in this alignment		length 7.375 Km minimum public is satisfied in this alignment	
		9 Sum dense forest in this alignment		More dense forest in this alignment	

COMPARATIVE OF ALIGNMENT

Name of work: Comparative Statement of Alignment for extension Raigi – Kulha Motor Road

Length: 7.300 Kms

Scheme: Under P.M.G.S.Y

Sl. NO.	Items	Alignment 1 (ok)	Alignment 2
31	Relation of proposed alignment with existing and road under construction	Existing raigi- Kulha Motor Road	Existing raigi- Kulha Motor Road
32	Position of Quarry	Locally	Locally
33	Any other useful information viz. other important project being taken in the area required for proper completion of the work	Not Known	Not Known
34	Right of way bringing out construction on Account of Built-up Area Mountains and Other		
	Approximate area and Value		
	Cultivated	2.520 Hect	2.760 Hect
	Irrigated	0.00 Hect	0.000 Hect
	Un- Irrigated	2.520 Hect	2.760 Hect
	Approximate of area Schedule	5.670 Hect	6.058 Hect
	R.Forest land	0.000 Hect	0.000 Hect
	Civil Soyom	3.150 Hect	3.290 Hect
35	Total No of tree		
	1:- Nap Land	0	2
	2:- Civil Soyam Land	10	25
	3:- R. Forest Land	0	0
	Total:-	10	27

Junior Engineer C.D.P.W.D PMGSY, Haridwar (H.Q.-Kalsi)	Assistant Engineer C.D.P.W.D PMGSY, Haridwar (H.Q.-Kalsi)	Executive Engineer C.D.P.W.D PMGSY, Haridwar (H.Q.-Kalsi)	चक्रतीर्थ इलाहाबाद चक्रतीर्थ, उ.प्र. Chakrata Division Chakrata
---	--	--	--

अनुमोदित
चक्रतीर्थ इलाहाबाद
चक्रतीर्थ, उ.प्र.

COMPARATIVE OF ALIGNMENT

Name of work: Comparative Statement of Alignment for extension Raigi - Kulha Motor Road
 Length: 7.300 Kms
 Scheme: Under P.M.G.S.Y

Sl. NO.	Items	Alignment 1 (ok)	Alignment 2
11	Access point indicating possibility of Equipment	Vikasnagar Market.	Vikasnagar Market.
12	Climate Condition		
A	Temperature Maximum & Minimum	Max. 27°C and Min. -5°C	Max. 27°C and Min. -5°C
B	Rainfall Data Average Annual peak intensity, monthly distribution of the Available road Length covered by snow (Average and period)	1300 mm.	1300 mm.
C	Wind direction of Velocity	North. To South.	North. To South.
D	Fog conditions	Fog remain during rainy and winter season.	Fog remain during rainy and winter season.
E	Exposure to sun	Full alignment is exposed to sun.	Full alignment is exposed to sun.
F	Drainage characteristics of the area including susceptibility to damage		
13	Length of land take	Nil	Nil
14	Length of unstable area	Nil	2 nos.
15	Length of heavy clearing	Nil	Nil
16	Length of marshy and flooded	Nil	Nil
17	Length of position with loose	Nil	Nil
18	Vegetation extent / type	Nil	Nil
19	Period required for construction	2 Year	2 Year
20	Political Aspect	-	-

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-7.300 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, -त्यूनी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम-2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, जौनसार बाबर

उपखण्ड जौनसार बाबर परिक्षेत्र के अन्तर्गत रायगी कुल्हा मोटर मार्ग हेतु (आरक्षित वन भूमि, शून्य है० सिविल एवं सोयम वन भूमि 3.150 है० वन पंचायत भूमि, -शून्य है अर्थात् कुल 3.150 है० वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील-त्यूनी) की दिनांक 15.04.2013 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (व अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री Anand Pandey उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1 श्री Anand Pandey उपजिलाधिकारी..... अध्यक्ष
- 2 श्री चन्द्र वल्लभ मंड्यानी उप प्रभागीय वनाधिकारी..... त्यूनी सदस्य h
- 3 श्री सरदार सिंह चौधरी सहायक समाज कल्याण अधिकारी..... चम्पराता सदस्य / सचिव Chamra
- 4 श्री भागमल रांकटा बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य कुल्हा ०७ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी-कुल्हा मोटर मार्ग के विस्तारीकरण का नवनिर्माण कार्य परियोजना हेतु 3.15 है० वन भूमि (सिविल सोयम) ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी..... द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं